A Daily News Magazine

इंदौर

शनिवार, 27 जून, 2026

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 265, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

दलबदल कानून ने छीनी सांसदों की आवाज, पार्टी नेता हुए ताकतवर

शंकर शरण

हाल में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के सांसदों के अपनी पार्टियां छोड़ने को लेकर जो चर्चा हो रही है, वह एकतरफा लगती है- जैसे कि ये सांसद अपने आप ही कोई गलत काम कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ से भी देखना ज़रूरी है: आखिर एक सांसद को, जो बाकी नागरिकों की तरह ही है, स्वतंत्र रूप से सोचने और अपनी पसंद का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए?

और भी इसलिए, क्योंकि मूल संविधान में उसे यह आज़ादी पूरी तरह मिली हुई थी। पश्चिमी देशों के सांसदों को आज भी यह स्वतंत्रता प्राप्त है। अब यह देखने का समय है कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय सांसदों से यह आज़ादी छीन लेने के क्या परिणाम हुए?

इस संशोधन ने संसद की गरिमा से ऊपर राजनीतिक दलों, बल्कि उनके नेताओं के हितों को रख दिया, जबकि भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख तक नहीं किया था। वे सांसद की पार्टी सदस्यता को उसकी व्यक्तिगत पसंद और समझ का विषय मानते थे। संसद सबसे ऊपर थी, बाकी सब उसके बाद।

ब्रिटिश भारत में भी 1920 से चुने हुए प्रतिनिधियों को किसी भी विधायी या प्रशासनिक निकाय में अपनी पार्टी में रहने या उसे छोड़ने की पूरी आज़ादी थी। यह अधिकार छह दशक से अधिक समय तक बिना किसी रुकावट के बना रहा। वजह साफ थी–चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी पार्टी के नहीं।

इसी कारण किसी भी पश्चिमी लोकतंत्र में दलबदल विरोधी कानून नहीं है। यह लोकतंत्र के एक मूल मूल्य– स्वतंत्रता के अनुरूप है। किसी पार्टी से जुड़ना व्यक्ति की सोच और काम करने की आज़ादी से जुड़ा विषय है। इसलिए यूरोप और अमेरिका के सांसदों को अपनी पार्टी छोड़ने या बदलने का पूरा अधिकार है।

यही अधिकार भारत के मूल संविधान में भी था, जिसे 1985 में खत्म कर दिया गया। इससे राजनीतिक व्यवस्था में कई तरह की विकृतियां पैदा हुईं। यह एक अच्छे कानून से ज्यादा एक राजनीतिक चाल साबित हुआ। आज विधायिका और कार्यपालिका के शीर्ष पदों पर बैठे लोग ही दलबदल करवाने में मदद करते दिखाई देते हैं।

अगर कोई मुख्यमंत्री लगातार गलत फैसले ले रहा हो, तब भी उसकी पार्टी का विधायक चुप रहता है या पार्टी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे अपना पद खोने का डर होता है। इस तरह व्यवहार में वह जनता का नहीं, सिर्फ पार्टी का प्रतिनिधि बनकर रह जाता है। यह संविधान की भावना के खिलाफ है और लोकतंत्र की आत्मा के भी विरुद्ध है। विडंबना यह है कि जिन्हें 'जनप्रतिनिधि' कहा जाता है, वे अपनी बात तक खुलकर नहीं कह सकते, जनता की बात कहना तो और भी दूर की बात है।

इस तरह दलबदल विरोधी कानून ने विधायकों और सांसदों को अपनी पार्टी का मात्र कार्यकर्ता बना दिया है। अगर किसी सत्तारूढ़ दल का सर्वोच्च नेता वर्षों तक नाटकीय, निष्प्रभावी या यहां तक कि नुकसानदायक कदम उठाता रहे, तो 1985 से पहले सांसदों के पास उसे रोकने या अपनी असहमति जताने की स्वतंत्रता थी। तब वह नेता बार-बार ऐसा करने से पहले सोचता।

लेकिन अब सांसदों की राय लगभग महत्वहीन हो गई है। पार्टी प्रमुख जो भी करे, उसके सांसद कुछ नहीं कर सकते, सिवाय चुपचाप तमाशा देखने के। नतीजा यह हुआ है कि स्वतंत्र चर्चा, आलोचना और देश के लिए सही रास्ता खोजने का जो मंच संसद हुआ करती थी, वह धीरे-धीरे बंजर बनती जा रही है।

यह तर्क कि 'किसी सांसद को पार्टी का टिकट मिला था, इसलिए उसे पार्टी छोड़ने का अधिकार नहीं है', मूल रूप से गलत है। पहला कारण यह है कि संविधान निर्माताओं को पार्टी टिकट की व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। फिर भी उन्होंने जो संविधान और चुनाव प्रणाली बनाई, उसमें व्यक्ति को पार्टी से ऊपर रखा गया।

दूसरी बात, संसद एक संवैधानिक और सर्वोच्च संस्था है, जबकि राजनीतिक पार्टी एक स्वैच्छिक संगठन है और समाज के अनेक संगठनों में से सिर्फ एक है। अगर कोई पार्टी खुद को भंग भी कर दे, तब भी उसके सांसद अपनी सीट नहीं खोते। सांसद की सदस्यता पार्टी के अस्तित्व से स्वतंत्र होती है और उसका दर्जा भी उससे ऊंचा होता है। इसलिए उसे पार्टी सदस्यता के अधीन नहीं माना जा सकता।

कोई उम्मीदवार बिना किसी पार्टी टिकट के भी चुनाव लड़कर सांसद बन सकता है। इसलिए टिकट सहायक चीज़ है, जबकि उम्मीदवार मुख्य है। पार्टी टिकट को ही सबसे महत्वपूर्ण मान लेना और सांसद के व्यक्तित्व को गौण समझना गलत है।

गौर करने वाली बात है कि भारतीय संविधान ने जिम्मेदारी व्यक्तियों पर डाली थी। किसी पार्टी और उसके सांसदों के बीच का संबंध विधायिका के दायरे से बाहर था। 52वें संविधान संशोधन ने इस मुद्दे पर संविधान की मूल सोच को धुंधला कर दिया, लेकिन वास्तविकता आज भी वही है–संसद की सदस्यता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और पार्टी सदस्यता उससे कहीं कम महत्व की चीज़ है। इसलिए लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और दुनिया के बड़े लोकतंत्रों की सर्वोत्तम परंपराओं को देखते हुए, केवल पार्टी छोड़ने के कारण किसी सांसद की सदस्यता खत्म कर देना हर दृष्टि से गलत। यह उसे एक तरह से पार्टी के पिंजरे में बंद कर देता है, जबकि संसद स्वतंत्र विचार-विमर्श का सर्वोच्च मंच है। इसके अलावा, दलबदल विरोधी कानून सिद्धांतहीन भी है, क्योंकि सांसद अगर समूह में पार्टी छोड़ें तो यह स्वीकार्य है, लेकिन अकेले छोड़ें तो दंडनीय है। मानो अकेले धोखाधड़ी करना अपराध हो, लेकिन गिरोह बनाकर करना वैध हो।

आधुनिक कानून व्यक्ति को जिम्मेदार मानता है। अगर दलबदल वास्तव में गलत होता, तो सामूहिक रूप से किया गया दलबदल भी गलत ही माना जाता। लेकिन चूंकि पार्टी छोड़ना अपने आप में कोई गलत काम नहीं है, इसलिए यह कानून मूल रूप से सिद्धांतहीन है। नेताओं की परेशानी दूर करना संसद या कार्यपालिका का कर्तव्य नहीं है। अपने पार्टी सदस्यों को संतुष्ट रखना पार्टी नेता की जिम्मेदारी है। केवल उसकी सुविधा के लिए सांसद की सदस्यता को उसके नियंत्रण में कर देना, अप्रत्यक्ष रूप से संसद का अपमान है।

किसी व्यक्ति और राजनीतिक पार्टी के बीच का संबंध उनका निजी मामला है। संसद का उससे कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। असली सवाल यह है कि 1985 के बाद सांसदों की स्वतंत्रता सीमित करने से कितना नुकसान हुआ है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच का अंतर धुंधला पड़ गया है। कभी लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) को जो सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी, वह लगभग समाप्त हो गई है। आज स्पीकर अपने दल के सर्वोच्च नेता के सहयोगी भर बनकर रह गए हैं।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुप्रभात

हिन्दी के शब्दकोश से
उर्दू निकाल दें
वो चाहते हैं फूल से
ख़ुशबू निकाल दें
जिसको ख़ुलूस-ओ-ख़ैर
का दावा हो, लेके आओ
हम उसकी आस्तीन से
चाक़ू निकाल दें
जो मेरे दुख में आए हैं
मुझको सँभालने
रोये बग़ैर आँख से
आँसू निकाल दें
कम तौलने पे ख़ुश हैं अगर
सारिफ़ीन-ए-शह्र
अपने घरों से बाट-
तराज़ू निकाल दें
ऐसे भी बेवक़ूफ़
मुसाफ़िर नहीं हैं हम
चलती हुई ट्रेन से
बाज़ू निकाल दें।

- शकील जमाली

चंदा चोरी की 'भेंट' चढ़ गए चंपत राय

- राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा, अनिल मिश्रा की भी छुट्टी
- अब तक 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज

अयोध्या (एजेंसी)। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के तीन दिन बाद ही दो बड़े इस्तीफे हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार, विश्व हिंदू परिषद ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से इस्तीफा देने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि दोनों ने अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंप दिया है, जिस पर आगे होने वाली ट्रस्ट की बैठक में विचार होगा। राम मंदिर ट्रस्ट ही इस पर फैसला लेगा, क्योंकि ट्रस्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को ही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद गुरुवार को मामले में केस दर्ज किया गया और 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों में चंपत राय के करीबी और ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम भी शामिल हैं।

मैंने कहा था- कार्रवाई होगी और कार्रवाई शुरू हो गई

- राम मंदिर मामले में बोले सीएम योगी, कांग्रेस पर जमकर बरसे

देवरिया (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। अयोध्या के दौर पर आए अरविंद केजरीवल ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच करने वाली एसआईटी पर सवाल उठाए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि, जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो रामभक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं,अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि, एक दिल्ली से सज्जन वहां आए हैं,अयोध्या। दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष अवसर दिया,लेकिन उन्होंने बर्बादी को अपनाया।

जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो– सीएम योगी ने कहा कि, मैंने 19 जून को अयोध्या के दौरे पर कहा था, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो, श्रीराम की मर्यादा का पालन करना सीखो। मैंने कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। एसआईटी रिपोर्ट आई, कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उन्होंने कहा कि, जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। आज मोहर्रम है, कहीं किसी का अता पता नहीं है, कोई शस्त्र नहीं निकल रहा।

लोकतंत्र सेनानियों के तीर्थाटन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी सरकार

प्रदेशभर के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में दो दिन नि :शुल्क ठहर सकेंगे

भोपाल (नप्र)। सीएम मोहन यादव ने 26 जून को भोपाल में लोकतंत्र सेनानियों को संबोधित किया है। साथ ही सीएम ने 96 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी लक्ष्मी नारायण पाटीदार और 95 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी शांति लाल संघवी, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का अभिनंदन किया। इस दौरान सेनानियों के लिए उन्होंने कई घोषणाएं की हैं।

कांग्रेस ने देश की लड़ाई को रोकने का प्रयास किया– सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश की लड़ाई को रोकने का प्रयास किया। हमारे देश के आजाद होने के बाद कई राष्ट्र आजाद हुए। जापान तो द्वितीय विश्वयुद्ध में करीब-करीब खत्म हो गया था, लेकिन वो देश आज कहां हैं और हमारा देश कहां है। इंदिरा गांधी की आज चौथी पीढ़ी मैदान में हैं, लेकिन विचारधारा और नीति में कांग्रेस न तब सुधरी थी, न अब सुधरी है।

आपातकाल में चुनौती भरा था माहौल– उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान चुनौती भरा माहौल था। घर के मुखिया को उठाकर सीधे जेल में बंद कर देते थे। उसके बाद न वकील, न अपील, न दलील। किसी को कुछ पता नहीं होता था कि क्या होगा। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, कौन घर देखेगा, कौन फीस भरेगा। मीसाबंदियों से कहा जाता था कि कांग्रेस में शामिल हो जाओ, इंदिरा की जय-जयकार करो तो छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की लड़ाई स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के समान है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। जबकि, हमारे साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान में लोकतंत्र बेहाल है। आज के समय में लोकंतत्र की मशाल को जलाए रखना, हमारे लिए जरूरी है। कांग्रेसी हाथ में संविधान की किताब लेकर बात करते हैं, लेकिन संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किसी न किया है, तो वो कांग्रेस ही है। उनकी पांच पीढ़ियों ने दुरुपयोग किया है। वो किस मुंह संविधान की बात करते हैं। कांग्रेस ने केवल एक परिवार को आगे बढ़ाया, बाकी लोगों को दबा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शासन करने का बहुत लंबा समय मिला, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10-12 साल का समय मिला।

लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने कहा मोहन यादव के पिता स्वयं मीसाबंदी रहे। उन्होंने मीसाबंदियों की पीड़ा को करीब से देखा है।

सऊदी अरब में भारतीय भी खरीद सकेंगे अपना घर

ऑयल इकोनॉमी पर निर्भरता घटाने का बड़ा फैसला, सऊदी में रह रहे 24 लाख प्रवासियों को सीधा फायदा

रियाद (एजेंसी)। सऊदी अरब ने अपने रियल एस्टेट सेक्टर को विदेशियों के लिए खोल दिया है। 'सऊदी प्रॉपर्टीज' नाम के नए डिजिटल पोर्टल के जरिए अब विदेशी नागरिक, कंपनियां और निवेशक वहां प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह कदम जनवरी, 2026 में लागू हुए विदेशी रियल एस्टेट स्वामित्व कानून के तहत उठाया गया है। इस

बदलाव से सबसे अधिक फायदा करीब 24 लाख उन भारतीयों को हो सकता है जो सऊदी अरब में रहते और काम करते हैं। अब तक भारतीय केवल किराए पर मकान ले सकते थे।

लेकिन नई व्यवस्था के तहत वे वहां प्रॉपर्टी के मालिक भी बन सकते हैं। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (रेगा) ने बताया कि 'सऊदी प्रॉपर्टीज' पोर्टल पूरी तरह डिजिटल है।

लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन दोहराएगी पुणे पुलिस

- केतन अग्रवाल की डमी ,सिया गोयल और चेतन चौधरी संग शुरू की तैयारी

पुणे (एजेंसी)। केतन मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अब तक इस मामले में सात लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं, आरोपी चेतन की दुकान में काम करने वाले नीरज को हिरासत में लेकर 24 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। फिलहाल जांच में नीरज की हत्या में सीधे तौर पर कोई भूमिका सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक, नीरज ने पूछताछ में बताया कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि चेतन और सिया केतन की हत्या की साजिश रच रहे हैं। उसने यह स्वीकार किया कि घटना वाले दिन चेतन ने उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल किया था लेकिन उसे चेतन के इरादों की कोई भनक नहीं थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच में नीरज की भूमिका एक महत्वपूर्ण गवाह के रूप में सामने आ सकती है। संभावना है कि पुणे पुलिस उसे मुख्य गवाह बनाए ताकि घटना वाले दिन का विवरण सामने आए।

गोपनीय रखा गया है ऑपरेशन

उधर, मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस अब लोहगढ़ फोर्ट पर घटनास्थल का क्राइम सीन रीक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इसकी पूरी योजना तैयार कर ली गई है लेकिन पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया है। क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान पुलिस यह समझने की कोशिश करेगी कि सिया और उसके प्रेमी चेतन ने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया। जांच टीम यह भी देखेगी कि घटना के समय केतन, सिया और चेतन किस-किस जगह पर मौजूद थे, धक्का किस स्थिति में दिया गया और उसके बाद शव कितनी दूरी तक खाई में गिरा। इसके लिए डमी बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि, पुणे पुलिस का कहना है कि अभी इस प्रक्रिया का समय तय नहीं किया गया है। पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अब तक मिले सभी साक्ष्य परिस्थितिजन्य हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसी हर छोटी-बड़ी कड़ी को जोड़ने में जुटी है और घटना से पहले तथा बाद की हर गतिविधि का बारीकी से विश्लेषण कर रही है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 27 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

मोदी मंत्रिमंडल में बढ़ सकते हैं महाराष्ट्र से मंत्री!

ऑपरेशन टाइगर के बाद श्रीकांत शिंदे समेत चर्चा में पांच नाम

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में सफल ऑपरेशन टाइगर का असर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में देखने को मिल सकता है। उद्धव ठाकरे के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के साथ आने पार्टी शिवसेना की ताकत बढ़ गई है। चर्चा है कि एक कैबिनेट बर्थ शिवसेना को मिल सकती है। मंत्री पद के लिए शिंदे के बेटे डॉ. श्रीकांत शिंदे के साथ धाराशिव से सांसद ओम राजे निंबालकर का नाम

भी चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो सुनेत्रा पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी कोई मंत्री बन सकती है। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तब प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आया था लेकिन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ऑफर किए जाने पर बात अटक गई थी। अब देखना है कि एनसीपी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है या फिर नहीं। चर्चा है कि पीएम मोदी 28 या 29 जून को मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार कर सकते हैं।

बीजेपी के चार और सहयोगी के दो मंत्री

अभी महाराष्ट्र से कुल छह नेता केंद्र में मंत्री हैं। इनमें चार मंत्री बीजेपी और दो एनडीए के सहयोगियों के पास हैं। इनमें एक मंत्री पद एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एक मंत्री पर आरपीआई-ए के पास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल 28 या 29 जून को होने की चर्चा है। महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के मंत्री बनने की संभावना है। वह अभी राज्यसभा के सदस्य है और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है। अगर वे मंत्री नहीं बनते हैं तो दूसरी नाम सुनील तटकरे का है। सांसद संजय दीना पाटिल का भी नाम चर्चा में है।

ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार सार्वजनिक

5 सेना, 1 एयरफोर्स का जवान, पीओके में हमला किया था

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए भारतीय सशस्त्र बलों के 6 जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए गए हैं। इन नामों को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3 डी वॉल पर साल 2025 के खंड में भी उनके नाम अंकित किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत

सेना ने बताया था कहां-कहां की थी एयरस्ट्राइक- सेना ने 7 मई 2025 की सुबह बताया था कि पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इन्हें हमने तबाह कर दिया। लॉन्चपैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। इनके नाम हैं..पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशान बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप। यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। भारत सरकार ने कहा था कि इन हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी।

● आरक्षण का लाभ भी होगा खत्म, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इस्लाम अपना लिया तो नहीं मिलेगा ओबीसी का दर्जा

चेन्नई (एजेंसी)। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में धर्म परिवर्तन और आरक्षण को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है, जिसके तहत हिंदू धर्म की पिछड़ी, अति-पिछड़ी या अनुसूचित जाति से इस्लाम अपनाने वाले लोगों को बैकवर्ड क्लास मुस्लिम का दर्जा और आरक्षण देने की बात कही गई थी। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन और जस्टिस पी बी बालाजी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी व्यक्ति इस्लाम अपनाने के बाद सिर्फ एक मुस्लिम होता है। पीठ ने कहा, कोई भी शख्स इस्लाम अपनाने के बाद सिर्फ एक मुसलमान रह जाता है, बस बात यहीं खत्म। वह बैकवर्ड क्लास मुस्लिम के दर्जे या आरक्षण का दावा कतई नहीं कर सकता। यह मामला थूथुकुडी जिले के रहने वाले समीर अहमद की याचिका के बाद सामने आया। पहले उसका नाम परमशिवम था। परमशिवम का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। 2015 में उसने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम समीर के मुसलमानों का दर्जा प्राप्त है। तहसीलदार ने समीर का आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद समीर ने हाईकोर्ट का रुख किया और तमिलनाडु

अहमद रख लिया और मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी की। धर्म परिवर्तन के बाद समीर ने तहसीलदार के पास मुस्लिम लेब्बाई जाति का कम्युनिटी सर्टिफिकेट पाने के लिए आवेदन किया। इस जाति को तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग सरकार के 9 मार्च 2024 के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें कनवर्टेड मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही गई थी। तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि आरक्षण इसीलिए दिया जा रहा है ताकि वह लाभ उठा सके।

सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं दे सकते लाभ

अदालत ने कहा, ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक उपदेशकों ने दशकों और सदियों तक यह प्रचार किया कि उनके धर्मों में सामाजिक समानता है, जबकि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है। धर्म-परिवर्तन के लिए ऐसा रुख अपनाने के बाद, अब यह दावा करना गलत है कि इस्लाम में भी ऊंच-नीच है। हमारी राय में, कुछ समुदायों को पिछड़ा और बाकी को अगड़ा मानना कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ है। इस्लाम एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें सब बराबर हों। अल्लाह की नजर में सब समान हैं। वहां कोई सामाजिक ऊंच-नीच नहीं है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ इसलिए विभिन्न जातियों के कनवर्टेड मुस्लिमों का एक समूह बनाकर उन्हें आरक्षण नहीं दे सकती कि वे लाभ उठाते रहें।

पुलिस ऑफीसर कर रहे सम्राट के खिलाफ साजिश

● भरत तिवारी एनकाउंटर पर पूर्व मंत्री नागमणि का बड़ा दावा

पटना (एजेंसी)। बिहार में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी बहस छिड़ गई है। पूर्व सांसद और भाजपा नेता नागमणि ने इस एनकाउंटर को लेकर एक बेहद विवादित और चर्चित बयान दिया है, जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। नागमणि ने मारे गए भरत तिवारी के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए उसे सूबे का सबसे

बड़ा गुंडा और अपराधी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने बिहार पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जानबूझकर सम्राट चौधरी की सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर नागमणि ने कहा, सब ठीक नहीं चल रहा है। सारे पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो।

नीट अभ्यर्थी निक्की यादव की मौत

परीक्षा के बाद ओंकारेश्वर के लिए कैब क्यों बुक की? केस में बढ़ता जा रहा है रहस्य

खरगोन (नप्र)। इंदौर की 20 वर्षीय नीट अभ्यर्थी निक्की यादव की संदिग्ध मौत की जांच में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि छात्रा ने अपने मोबाइल फोन से ओंकारेश्वर जाने के लिए रैपीडो कैब बुक की थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है और मामले की मल्टी डाइमेंशनल जांच शुरू कर दी है।

जांच के लिए गठित की गई एसआईटी- खरगोन एसपी रवींद्र वर्मा ने बताया कि एसडीओपी मंडलेश्वर के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि निक्की यादव ने परीक्षा देने के बाद ओंकारेश्वर जाने के लिए रैपीडो कैब बुक की थी।

इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पहुंची- पुलिस सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा समाप्त होने के बाद निक्की यादव अपने परीक्षा केंद्र महू से बस द्वारा इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पहुंची थी। एक सीसीटीवी फुटेज में वह रेलवे स्टेशन के सामने से अकेले एक कार में बैठती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह ओंकारेश्वर कैसे पहुंची और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ।

नीट की परीक्षा देने गई थी महू

इंदौर निवासी निक्की यादव रविवार को नीट-यूजी परीक्षा देने महू गई थी। परीक्षा के बाद वह घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। सोमवार दोपहर खरगोन जिले के करही थाना क्षेत्र के पीटामली स्थित नर्मदा नदी से उसका शव बरामद हुआ। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।

अब रैपीडो कैब बुकिंग, सीसीटीवी फुटेज और चालक के बयान जैसे नए सुराग सामने आने के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि छात्रा की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था।

बुकिंग से जुड़ी जानकारी मांगी

पुलिस ने रैपीडो कंपनी को ई-मेल भेजकर बुकिंग से जुड़ी जानकारी, वाहन का पंजीयन नंबर और चालक का विवरण मांगी थी। उन्होंने बताया कि संबंधित कैब चालक की पहचान कर ली गई है और उसे शुक्रवार को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जा रहे हैं।

सुसाइड का ही लग रहा है मामला

उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन सामने आए नए तथ्यों को देखते हुए पुलिस अन्य सभी संभावनाओं की भी जांच कर रही है। करही थाना प्रभारी राजेंद्र इंगले ने बताया कि छात्रा का मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया था।

वेनेजुएला भारी तबाही अब तक 235 की मौत

● 4300 से ज्यादा घायल, मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश

सरकार बोली-39,000 लोग लापता, नीचे से आ रहीं आवाजें

कराकस (एजेंसी)। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए दो भूकंप में अब तक 235 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। जबकि 4300 से ज्यादा लोग घायल हैं। वेनेजुएला में बुधवार यानी 25 जून को साल 1821 के काराबोबो युद्ध की याद में राष्ट्रीय अवकाश था। इसलिए ज्यादातर लोग घरों में थे और फीफा वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे। इससे मलबे में दबने वालों की संख्या ज्यादा होने की आशंका है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलबे के अंदर से आवाजें आ रहीं हैं। सरकार ने देर रात बताया कि 39 हजार से ज्यादा लोग लापता हैं। भूकंप की भयावहता की असल तस्वीर अभी आना बाकी है।

राहत अभियान में जुटी टीमें

घायलों को खून से लथपथ हालत में मलबे से बाहर निकाला गया। इनमें एक महिला सीमेंट के भारी स्लैब के नीचे फंसी हुई दिखाई दी और मलबे से उसके एक पैर का हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, बचाव दल ने काफी प्रयास के बाद उसे जीवित बाहर निकाल लिया। एक महिला अपने तीन और दस वर्षीय बच्चों के शवों को कंबलों में लपेटकर ले जाते देख फूट-फूटकर रो पड़ी और बेसुध होकर गिर गई। वहीं, कई लोग तलाश में जुटे हैं।

मलबे में अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका

वेनेजुएला में अभी भी भूकंप से तबाह हुई बिल्डिंगों के मलबे में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। आपदा प्रभावित इलाके में अंतरराष्ट्रीय बचाव दल और मानवीय सहायता के पहुंचने के साथ ही आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि भारतीय वायुसेना के दो एम-17 विमान भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं।

टीम नितिन नवीन तैयार! जल्द होगा ऐलान

● केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल के साथ शुरुआत ● बीजेपी संगठन में भी बड़े बदलाव के संकेत

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट में बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह फेरबदल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के संगठनात्मक बदलावों के साथ ही किया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम के गठन को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इस बारे में बीजेपी सूत्रों ने पहले ही संकेत दिए थे कि संगठन में बड़े बदलाव जून के आखिर तक हो सकते हैं, साथ ही ये बदलाव केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल से जुड़े हो सकते हैं। गुरुवार को नितिन नबीन की कुछ

राज्य मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद फेरबदल की अटकलें और तेज हो गईं। पार्टी के लोगों का मानना है कि संगठन में फेरबदल, गुरुवार को घोषित की गई उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब होगी।

पीडीए की काट पर रहा फोकस

उत्तर प्रदेश की नई टीम में युवाओं और विभिन्न पिछड़ा वर्ग (पीडीए) जातियों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान गया है। इसे समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समीकरण का जवाब माना जा रहा है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय संगठन में भी इसी तरह युवाओं, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्योंकि पार्टी युवाओं और महिलाओं के अलावा अहम जाति समूहों में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है।

एलपीजी टैंकर टोल से टकराया धमाके के बाद लगी भीषण आग

● कौशांबी में ड्राइवर जिंदा जला, सिर्फ हड्डियां बचीं, 16 बाइकें और 2 कारें जलकर खाक

कौशांबी (एजेंसी)। यूपी के कौशांबी में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक एलपीजी टैंकर बेकाबू होकर टोल प्लाजा से टकरा गया। टक्कर के बाद तेज धमाका हुआ और टैंकर में आग लग गई। हादसे में टैंकर चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। उसका शव पूरी तरह जल गया और कंकाल का कुछ हिस्सा ही बरामद हो सका। वहीं, पांच टोल कर्मचारी भी झुलस गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टैंकर पूरी तरह जल चुका था। टोल प्लाजा के यार्ड में खड़ी 16 बाइकें और दो कारें भी आग की चपेट में आकर जल गईं। आग बुझने के बाद जब टीम टैंकर के अंदर पहुंची तो चालक की हड्डियां मिलीं। इससे पहले सूचना मिली थी कि चालक टैंकर से कूदकर जान बचाने में सफल हो गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई।

खटिया पर नदी पार कराई, रास्ते में हुआ प्रसव

छिंदवाड़ा में सड़क न होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंची, डिलीवरी के बाद बाइक से अस्पताल लाए

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ने पर परिजन खटिया में लिटाकर नदी पार कराने को मजबूर हो गए। इसी दौरान रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई। बाद में जच्चा-बच्चा को किसी तरह नदी पार कराया गया, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आखिरकार दोनों को बाइक से अस्पताल ले जाना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शुक्रवार को सामने आया है। मामला हथोड़ा गांव के लोहरी मोहल्ले का है।

जानकारी के गांव के लोहरी मोहल्ले में करीब 20 परिवार निवासरत हैं। मोहल्ले तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को नदी पार करनी पड़ती है। बारिश के दिनों में नदी उफान पर होने से गांव का संपर्क कट जाता है और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीण गोपाल विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी भाभी 35 वर्षीय सविता विश्वकर्मा, पति शंकर विश्वकर्मा को

गुरुवार शाम अचानक प्रसव पीड़ा तेज हो गई थी। परिजनों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन वाहन गांव तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद ग्रामीणों ने महिला को खटिया में लिटाकर नदी पार कराना शुरू किया। इसी दौरान रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई।

एंबुलेंस नहीं आई तो बाइक से ले गए अस्पताल- ग्रामीणों ने किसी तरह जच्चा-बच्चा को नदी पार कराया और एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक वाहन नहीं पहुंचा। इसके बाद दोनों को बाइक से अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि लोहरी मोहल्ले में वर्षों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बारिश के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आपात स्थिति में ना एम्बुलेंस पहुंचती है और ना ही कोई अन्य वाहन। ऐसे में लोगों को मरीजों को खटिया के सहारे नदी पार कराना पड़ता है।

इंदौर अभिभाषक चुनाव, परिणाम आए

इंदौर। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आठ प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में एडवोकेट राकेश पाल ने सबसे ज्यादा वोट हासिल कर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। गुरुवार देर रात तक चली मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। इस दौरान चुनाव परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। चुनाव में जितेंद्र नीम उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र गुर्जर सचिव, निमेष सोलंकी सहसचिव और पल्लविका अध्यारु कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं कार्यकारिणी के छह सदस्यों के लिए आयुष भोरहरी, सुधीर व्यास (हैप्पी), नितिन पाराशर, स्नेहील वर्मा, सुमनलता मुकाती एवं श्यामा वर्मा चुनी गईं। इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए सात प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ, जबकि सचिव पद के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में थे। कार्यकारिणी के 21 पदों के लिए भी चुनाव हुए, जिनमें दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। मतदान के दिन सुबह से ही कोर्ट परिसर में चुनावी सरगर्मी रही। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान की अपील करते रहे।

6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे फिर बढ़ाए

इंदौर। यात्रियों की बढ़ती संख्या और यात्रा मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने विशेष किराये पर संचालित 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को पुन: विस्तारित किया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, इंदौर-मुंबई सेंट्रल, इंदौर-हजरत निजामुद्दीन, डॉ अंबेडकर नगर-पटना, उधना-मधुबनी, उधना-हसनपुर तथा प्रतापनगर-लालकुआँ स्पेशल ट्रेनों का संचालन जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत तक जारी रहेगा। इन ट्रेनों के विस्तारित फेरों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के समय और संचालन संबंधी जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी गई है।

महालक्ष्मी नगर में हादसे का खतरा बढ़ा

इंदौर। महालक्ष्मी नगर स्थित एलीट एपेक्स के समीप सार्थक सिंगापुर प्रोजेक्ट के पास लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सड़क किनारे की जमीन धंस गई है। हालात ऐसे हैं कि फुटपाथ का बड़ा हिस्सा बैठ चुका है और सड़क का किनारा भी कमजोर हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो पूरी सड़क धंस सकती है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। इसी स्थान पर नगर निगम की पानी की पाइपलाइन भी टूट गई, जिससे मिट्टी का कटाव तेज हो गया और सड़क के और अधिक धंसने का खतरा बढ़ गया है। रहवासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग कराने, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत करने तथा सड़क को सुरक्षित बनाने की मांग की है। साथ ही निर्माण में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई है, ताकि किसी संभावित दुर्घटना को रोका जा सके।

घेराबंदी कर अवैध शराब की खेप पकड़ी

इंदौर। आबकारी विभाग ने बंबई बाजार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए जुपिटर स्कूटर से 60 बल्क लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की है। तेज बारिश के बीच भोलेनाथ मंदिर के पास की गई घेराबंदी में 120 बीयर केन और स्कूटर समेत 1.41 लाख रुपए का माल बरामद हुआ। आरोपी राहुल अलोने को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पूछताछ में उसने देबू ठाकुर के लिए शराब परिवहन करने की बात कबूली है, जिसकी तलाश जारी है। आबकारी विभाग का कहना है कि अवैध शराब के नेटवर्क से जुड़े अन्य नाम भी जांच में सामने आ सकते हैं।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के दो मामले, दोनों आरोपियों पर केस दर्ज

एक का शादी से इंकार, दूसरे ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी

इंदौर। शहर में शादी का वादा कर युवतियों के साथ दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामले सामने आए हैं। दोनों घटनाओं में पीड़िताओं की शिकायत पर संबंधित थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जबकि दूसरा भंवरकुआं थाना क्षेत्र से जुड़ा है। लसूड़िया थाना पुलिस के अनुसार एक छात्रा ने अपने सहपाठी मोहित धाकड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि दोनों एक ही संस्थान में पढ़ते थे और पिछले लगभग 2 वर्षों से एक-दूसरे के संपर्क में थे। करीब 1 वर्ष पहले आरोपी ने उसे प्रेम प्रस्ताव दिया और शादी करने की बात कही थी। शिकायत के अनुसार 22 जून को आरोपी छात्रा को केलोद हाला क्षेत्र में लेकर गया। वहां उसने जल्द शादी करने का भरोसा दिलाया और इसी विश्वास के आधार पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद युवती ने पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद उसकी मां ने आरोपी से बातचीत की, लेकिन उसने युवती के चरित्र पर सवाल उठाए और शादी करने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने लसूड़िया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।

दूसरा मामला भी ऐसा ही - वहीं भंवरकुआं थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय युवती की शिकायत पर धारा सिंह राजपूत के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2024 में ट्रेन यात्रा के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। दोनों ने मोबाइल नंबर साझा किए, जिसके बाद लगातार बातचीत होने लगी। युवती का आरोप है कि अक्टूबर 2024 में आरोपी उसे भंवरकुआं स्थित एक होटल में ले गया, जहां शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में भोलाराम उस्ताद मार्ग स्थित एक स्थान पर भी आरोपी ने कई बार उसके साथ संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार कुछ समय बाद आरोपी शादी से मुकर गया। इतना ही नहीं, उसने यह धमकी भी दी कि यदि शादी के लिए दबाव बनाया गया तो वह उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।

स्कूल कैंटीन सहित कई प्रतिष्ठानों से 23 नमूने लिए गए, खाद्य सुरक्षा की कार्रवाई

शिकायतों पर त्वरित जांच, रिपोर्ट के आधार पर होगी वैधानिक कार्रवाई

इंदौर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पर नियंत्रण के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्राप्त शिकायतों पर प्राथमिकता के साथ जांच कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों से कुल 23 खाद्य नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने स्कीम नंबर 74 स्थित प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल की मेस और कैंटीन का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य सामग्री का भंडारण निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके अलावा भोजन बनाने और उपयोग में लिए जा रहे पानी की जांच रिपोर्ट भी एक वर्ष से अधिक पुरानी मिली। अधिकारियों ने मौके से फ्रेंच फ्राइज, तुअर दाल, घी, सोयाबीन तेल, इंस्टेंट खमन मिक्स, रोटी, मिक्स वेज सब्जी और चावल सहित कुल 8 नमूने जांच के लिए लिए। निरीक्षण में मिली कमियों को लेकर संस्थान को सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है।

मुंशी का ढाबा के सैंपल लिए- एक शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मानपुर स्थित मुंशी ढाबा का भी निरीक्षण किया। यहां से आटा, दाल, चावल, नमकीन और मसालों के कुल 5 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। वहीं बेटमा रोड स्थित काली बिल्लोद के कृष्णा किराना भंडार से तुअर दाल का 1 नमूना लिया गया। कार्रवाई पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता को पूरी जानकारी दी गई, जिस पर उसने संतोष जताया।

अंबिका स्वीट्स-नमकीन का निरीक्षण

इसी तरह बंगाली चौराहा स्थित अंबिका स्वीट्स एंड नमकीन का निरीक्षण कर खीर पुरी, स्ट्रॉबेरी स्लाइस मिठाई और विभिन्न प्रकार के पैक्ड नमकीन के कुल 7 नमूने जांच के लिए लिए गए। इस कार्रवाई की जानकारी भी शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई गई, जिस पर उसने संतुष्टि व्यक्त की। हम्माल कॉलोनी स्थित पूजा श्री प्रतिष्ठान के संबंध में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर से दुर्गंध आने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान अधिकारियों ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के 2 नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बताया कि संग्रहित सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पहली बारिश से ही कई इलाकों में जलभराव महू के जोखिम वाले पर्यटन स्थलों पर रोक

सड़क व ड्रेनेज व्यवस्था में खामियां, सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश

इंदौर। शहर में बुधवार को मानसून ने औपचारिक दस्तक दी और अच्छी बारिश के साथ लोगों को भीषण गर्मी तथा उमस से राहत मिली। हालांकि बारिश की शुरुआत ने ही नगर निगम की तैयारियों और ड्रेनेज व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी। शहर के कई प्रमुख चौराहों, सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। कई स्थानों पर यातायात की रफ्तार थम गई और लंबे समय तक जाम की स्थिति बनी रही। लगातार हो रही बारिश और संभावित हादसों की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने महू क्षेत्र के जोखिमपूर्ण और एकांत पर्यटन स्थलों पर आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(1)(2) के तहत जारी किया गया है, जो 25 जून से 22 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।

इन पर्यटन स्थलों पर रोक

आदेश के अनुसार तिंछा फॉल, चोरल फॉल, चोरल डेम, सीतलामाता फॉल, कजलीगढ़, मेहंदी कुंड, जामन्या कुंड, मोहाडी फॉल, रतबी वाटर फॉल, लोहिया

कुण्ड, जूनापानी, चिड़िया भड़क, बामनिया कुण्ड, जोगी भड़क और हत्यारी खो सहित अन्य संवेदनशील पर्यटन स्थलों के प्रतिबंधित एवं एकांत क्षेत्रों में आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने संबंधित जनपद पंचायतों और नगर परिषदों को निर्देश दिए हैं कि सभी पर्यटन स्थलों पर चेतावनी संबंधी सूचना बोर्ड लगाए जाएं तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाए। साथ ही संबंधित थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मानसून की पहली बारिश ने एक ओर शहरवासियों को मौसम की राहत दी, वहीं दूसरी ओर जल निकासी व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं की कमियों को भी उजागर कर दिया। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए समय रहते प्रतिबंध लागू किए हैं, ताकि वर्षा ऋतु के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

मेरिट से तय होगा कि रेसीडेंसी की संपत्ति कौन सी, सरकारी कौन सी

पांच साल की जांच, सर्वे और दस्तावेजों की पड़ताल का निष्कर्ष

इंदौर। शहर के ऐतिहासिक रेसीडेंसी क्षेत्र की जमीनों के मालिकाना हक को लेकर पिछले पांच वर्षों से चल रही प्रशासनिक प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। जूनी इंदौर एसडीएम कार्यालय ने पूरे रेसीडेंसी क्षेत्र को तीन सेक्टरों में विभाजित कर प्लाटवार फाइलें तैयार कर ली हैं। इन फाइलों को अंतिम अनुमोदन के लिए प्रशासन के पास भेजा जा रहा है। अब प्रत्येक प्रकरण की मेरिट और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि कौन-सी जमीन निजी मानी जाएगी और किन संपत्तियों को सरकारी खसरों में दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने क्षेत्रवार अलग-अलग फाइलें तैयार की हैं। रेडियो कॉलोनी की अलग फाइल बनाई गई है, जबकि धार कोठी परिसर और उससे जुड़ी कॉलोनी के लिए अलग-अलग अभिलेख तैयार किए गए हैं। इसी प्रकार चिड़ियाघर से लगे देवी अहिल्या नगर और रतलाम कोठी क्षेत्र की भी स्वतंत्र फाइलें बनाई गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रत्येक कॉलोनी को एक इकाई के रूप में मानते हुए उससे जुड़े खसरों का परीक्षण किया गया है।

विस्थापन की उम्मीद नहीं

मालिकाना हक को लेकर सबसे अधिक चिंता उन पूर्व अधिकारियों और परिवारों में है, जो वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। विशेष रूप से रेडियो कॉलोनी के रहवासियों ने अपने दावों के समर्थन में पुराने अभिलेख, राजस्व दस्तावेज और अन्य प्रमाण एकत्र कर लिए हैं। यदि प्रशासनिक निर्णय उनके पक्ष में नहीं आता है तो उन्होंने कानूनी स्तर पर अंतिम लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर ली है। प्रशासन की अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि रेसीडेंसी क्षेत्र की कई कॉलोनियां नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की लीज पर विकसित हुई थीं। ऐसे मामलों में फिलहाल रहवासियों को विस्थापित करने की संभावना नहीं है। हालांकि अंतिम निर्णय के बाद इन क्षेत्रों में रहने वालों को सरकारी पट्टेदार का दर्जा दिया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम फैसला शासन स्तर पर लिया जाएगा।

भौतिक सर्वे कराया गया

इस प्रक्रिया के तहत 15 मार्च 2024 तक सभी रहवासियों और संस्थाओं से मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज प्राप्त किए गए। दस्तावेजों की जांच के बाद विभाग ने अंतिम नक्शे तैयार किए और संबंधित जमीनों को नए राजस्व सर्वे नंबर भी जारी कर दिए। इसके बाद तत्कालीन एसडीएम जगदीश धनगर के कार्यकाल में पहली बार पूरे क्षेत्र का ड्रोन सर्वे और घर-घर जाकर भौतिक सर्वे कराया गया, जिससे प्रत्येक संपत्ति का विस्तृत रिकॉर्ड और नक्शा तैयार किया जा सका। इससे पहले मई 2023 में प्रशासन ने दो वर्षों तक विभिन्न संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच के बाद आधिकारिक सर्वेक्षण अधिसूचना जारी की थी। इस पूरी कवायद की शुरुआत वर्ष 2021 में तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर हुई थी। उस समय तत्कालीन अपर कलेक्टर राजेश राठौर और एसडीएम अंशुल खरे ने पुराने राजस्व अभिलेखों और दस्तावेजों की विस्तृत जांच शुरू कर रेसीडेंसी क्षेत्र को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी। अब पूरी जांच और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगाहें शासन के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। इसी निर्णय से यह स्पष्ट होगा कि रेसीडेंसी क्षेत्र की कौन-सी संपत्तियां निजी अधिकार में रहेंगी और कौन-सी सरकारी राजस्व रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी।

धार इमामबाड़ा विवाद में हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, सुनवाई 22 जुलाई को

सिद्दीक को पांच दिन के लिए मिलेगी इमामबाड़े की चाबियां

इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने धार किले स्थित सरकारी इमामबाड़े में ताजिया निर्माण को लेकर अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ता सिद्दीक को 5 दिनों के लिए इमामबाड़े की चाबियां सौंपने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने यह आदेश सिद्दीक बनाम मध्य प्रदेश राज्य (रिट याचिका क्रमांक 37514/2025) तथा संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नूर अहमद शेख और अशर अली वारसी ने 30 जून 2026 तक ताज़िया निर्माण की अनुमति मांगी। उन्होंने 'सरकारी ताजिया समिति' से जुड़े दस्तावेज पेश करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता सिद्दीक समिति के सदर हैं, जबकि बाबू चाचा पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। यह भी कहा गया कि पिछले वर्ष भी यथास्थिति के आदेश के तहत इसी स्थान पर शांतिपूर्वक ताजिया बनाया गया था। राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल सोनल गुप्ता और डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रेय सक्सेना ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के अधिकार प्रमाणित नहीं हैं। प्रशासन ने चोटी इमामबाड़ा और जमातखाना को वैकल्पिक स्थल बताते हुए पुराने दीवानी विवाद और पूर्व न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य याचिका पर अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है और पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर ताजिया बनाया गया था। ऐसे में सीमित अवधि की अनुमति से शासन को कोई नुकसान नहीं होगा।

अदालत ने एसडीओ को एक दिन के भीतर चाबियां सौंपने के निर्देश दिए और सिद्दीक को 1 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे तक चाबियां वापस करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस दौरान इमामबाड़े में किसी प्रकार का निर्माण, तोड़फोड़ या ढांचे में बदलाव नहीं किया जाएगा। परिसर को पूर्व स्थिति में ही प्रशासन को लौटाना होगा। चाबी सौंपने और वापस लेने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई 2026 को होगी।

200 रु का नकली नोट चलाते युवक पकड़ाया, नकली नोट भी पकड़े गए

2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की सिंगापुर टाउनशिप में दबिश दी

इंदौर। शहर में 200 रुपए का नकली नोट चलाने की कोशिश ने नकली करेंसी तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। गांधी नगर थाना पुलिस ने पहले एक युवक को रेस्टोरेंट से पकड़ा और उसकी निशानदेही पर सिंगापुर टाउनशिप में दबिश देकर कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में करीब 44 हजार रुपए के नकली नोट और उन्हें छापने में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटिंग मशीन बरामद की गई है। गांधी नगर थाना प्रभारी अनिल यादव के अनुसार, 25 जून को राजनगर निवासी यशवंत यादव अपने सांवरिया रेस्टोरेंट पर मौजूद थे। इसी दौरान एक युवक चाय-नाश्ता करने के बाद 200 रुपए का नोट देकर भुगतान करने लगा। नोट की बनावट पर संदेह होने पर यशवंत ने कर्मचारी आशीष चौहान की मदद से युवक को वहीं रोक लिया और तत्काल पुलिस को सूचना दी।

युवक से पूछताछ जारी

पुलिस ने मौके से युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने अपना नाम दीपक पटेल निवासी अटाहेडा, देपालपुर बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 4 हजार रुपए के नकली नोट और बरामद हुए। पूछताछ में दीपक ने खुलासा किया कि उसे ये नकली नोट सिंगापुर टाउनशिप निवासी संजय पुत्र महेश वैष्णव ने बाजार में चलाने के लिए दिए थे।

जानकारी मिलते ही पुलिस ने संजय के ठिकाने पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। संजय की तलाशी में करीब 40 हजार रुपए के नकली नोट और नोट छापने में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटिंग मशीन जब्त की गई। पुलिस के अनुसार, संजय ही नकली नोट तैयार कर दीपक को बाजार में खपाने के लिए देता था।

पहले खंडवा में पकड़ाया

जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी संजय वैष्णव पहले भी नकली नोट के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। उसे खंडवा एसटीएफ ने पकड़ा था। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद उसने दोबारा इसी अवैध कारोबार की शुरुआत कर दी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं तथा नकली करेंसी कहां-कहां खपाई जा रही थी।

धार्मिक पहचान छिपाकर शादी मामले में कोर्ट सख्त, भरण-पोषण के निर्देश

विवाह वैधता का विवाद महिला-संतान के अधिकार नहीं छीन सकता

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार्मिक पहचान छिपाकर विवाह करने और बाद में उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पति को पत्नी और उसकी नाबालिग पुत्री के लिए कुल 20 हजार रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल विवाह की वैधता पर प्रश्न उठाकर किसी महिला को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब उस संबंध से संतान का जन्म हो चुका हो। मामले की सुनवाई के दौरान महिला की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट राजेश जोशी ने अदालत को बताया कि कोरोना काल के दौरान 23 फरवरी 2020 को एक मंदिर में विवाह संपन्न हुआ था। महिला का आरोप है कि युवक ने स्वयं को हिंदू बताकर उसकी मांग में सिंदूर भरा और विवाह किया। बाद में दस्तावेजों के माध्यम से उसकी वास्तविक धार्मिक पहचान सामने आई। याचिका के अनुसार जून 2020 में गर्भावस्था के दौरान महिला को युवक की वास्तविक पहचान की जानकारी मिली। इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और धमकियां दी गईं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया।

विवाह की वैधता को स्वीकारा

फैमिली कोर्ट के इस आदेश को महिला ने हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस गजेंद्र सिंह ने कहा कि यदि किसी महिला से धार्मिक पहचान छिपाकर विवाह किया गया हो और उससे संतान भी उत्पन्न हुई हो, तो केवल विवाह की वैधता के आधार पर उसे भरण-पोषण से वंचित करना उसे दोबारा पीड़ित करने के समान होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश निरस्त करते हुए पति को महिला के लिए 10 हजार रुपए और नाबालिग पुत्री के लिए 10 हजार रुपए प्रतिमाह, कुल 20 हजार रुपए मासिक भरण-पोषण राशि देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि याचिका दायर किए जाने की तिथि से देय होगी।

फैमिली कोर्ट ने ख़ारिज किया

शिकायत के आधार पर इंदौर के द्वारकापुरी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। बाद में धमकी और दबाव बनाने के आरोपों को लेकर दो अन्य एफआईआर भी दर्ज की गईं। इस बीच फैमिली कोर्ट ने 26 अगस्त 2023 को दिए अपने आदेश में महिला को कानूनी रूप से पत्नी का दर्जा नहीं मानते हुए उसके भरण-पोषण के दावे को खारिज कर दिया था। हालांकि नाबालिग पुत्री के लिए 2 हजार रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण राशि मंजूर की गई थी।

संपादकीय

वेनेजुएला : भूकंप की विनाशलीला

दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए भयंकर भूकंप से हुई विनाशलीला दिल दहला देने वाली है। वहां भूकंप के एक के बाद एक झटके आए, जोकि अपने आप में बहुत विरल माना जाता है। भयानक भूकंप से इस देश की राजधानी कराकस समेत कई शहर तबाह हो गए हैं। वहां गुरुवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंपों से तबाही मच गई। महज 40 सेकेंड में राजधानी कराकास की ऊंची इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। अब तक इस हादसे में 235 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 4300 से घायल हैं। वेनेजुएला सरकार के मुताबिक 39 हजार से अधिक लोग लापता हैं। कई लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। जिन्हें निकालने का काम बचाव टीमें कर रही हैं। भूकंप से मरने वालों की संख्या अनुमानित से कहीं ज्यादा हो सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वेनेजुएला में भूकंप के बाद 30 आफ्टर शॉक्स भी इतनी तेजी से आए कि बहुत से लोगों को जूते पहनने का भी नहीं मिला मौका। राष्ट्रपति रोड्रिगेज़ ने आगे बताया कि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और घरों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ़) से 20 करोड़ डॉलर का फ़ंड बनाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। लोग सोशल मीडिया की ओर शिफ्ट कर रहे हैं और लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। वैसे भी भूकंप कभी कह कर नहीं आता। लेकिन इस प्रमुख तेल उत्पादक देश में 25 जून को साल 1821 के काराबोबो युद्ध की याद में राष्ट्रीय अवकाश था। इसलिए ज्यादातर लोग घरों में थे और फीफा वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे। इससे मलबे में दबने वालों की संख्या ज्यादा होने की आशंका है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं, एक लाख लोगों के जान गंवाने की 30% आशंका है। इस भूंकप की विनाशकता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस आपदा से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को 9.5 लाख करोड़ रुपए के नुकसान हो सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज़ ने कहा कि शहर में 'दर्जनों' इमारतें ढह गई हैं। उन्होंने ला ग्वेइरा को 'आपदा क्षेत्र' और 'वास्तविक त्रासदी' बताया। इसके अलावा मिरांडा, अरागुआ, काराबोबो और फाल्कोन राज्य भी भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एक और अहम बात यह है कि वेनेजुएला में भूकंप के दो झटके आए, उन्हें जुड़वा भूकंप कहा जाता है। जब कभी एक ही फॉल्ट लाइन पर दो बार प्लेटों के टूटने से एनर्जी निकलती है और दोनों बार बड़े भूकंप आते हैं। इनका एपिसेंटर यानी उद्गम केंद्र एक-दूसरे के बहुत करीब होता है। जुड़वा भूकंपों के बीच कुछ सेकेंड से लेकर कई सालों का अंतर हो सकता है। वेनेजुएला में ये महज 38 सेकेंड के भीतर आ गया। इस बीच देश में आपातकाल लगा दिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड्रिगेज़ से बात कर मानवीय आधार पर मदद की पेशकश की है।

दरअसल यह लातिनी अमेरिकी देश पिछले कुछ महीनों से काफी उथल-पुथल से गुज़र रहा है। इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने वामपंथी नेता निकोलस मादुरो को हिरासत में लिया था और उन पर मुक़दमा चलाने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। तबसे वेनेजुएला का कामकाज रोड्रिगेज़ कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर मादुरो की सहयोगी और पूर्व उप राष्ट्रपति डेल्सी संभाल रही हैं। वेनेजुएला में यह भूकंप 'गरीबी में आटा गीला' जैसी स्थिति है। कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले ही अमेरिका के दबाव में काम कर रही है, अब भूकंप से हुई तबाही से निपटने की उनके सामने बड़ी चुनौती है।

नजरिया

अजय कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

पासपोर्ट भी नहीं तो हमारी पहचान क्या?

बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले में जो पैटर्न सामने आया है, वह बताता है कि कैसे स्थानीय मदद से पहले आधार कार्ड बनवाया जाता है, फिर उसके आधार पर वोटर आईडी और अंत में पासपोर्ट। हाल के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि केवल 2025 में ही भारत ने करीब 1.39 करोड़ पासपोर्ट जारी किए। इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट जारी करने वाली मशीनरी के भीतर जब फर्जीवाड़े की गुंजाइश बचती है, तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे चुनौती देती है। घुसपैठिये अक्सर स्थानीय बिचौलियों की मदद से उन इलाकों में अपनी जड़ें जमाते हैं जहाँ दस्तावेज बनवाना आसान होता है।

भारत में नागरिकता को लेकर चल रही हालिया बहस ने एक ऐसी गहरी कानूनी और सामाजिक पहेली को जन्म दिया है, जिसे सुलझाना अब आम नागरिक के लिए अनिवार्य हो गया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा दिवस पर जो स्पष्टीकरण दिया, उसने देश भर के मध्यम वर्ग में खलबली मचा दी है। मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। सुनने में यह तकनीकी लगता है, लेकिन इसकी गहराई में उतरने पर पता चलता है कि हमारी पहचान को लेकर जो सुरक्षा का बोध था, वह कितना कच्चा है। आज के दौर में जब हर गली-नुक्कड़ पर घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों से नागरिकता हासिल करने की खबरें सुर्खियां बन रही हैं, तब यह सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर भारत की नागरिकता का असली आधार क्या है? क्या हम उस सुरक्षा चक्रव्यूह में फंसे हैं, जहाँ कागजों की बाजीगरी किसी को भी भारतीय बना सकती है और किसी को भी बेघर? इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का 'नेक्सस' (गठजोड़) बेहद व्यवस्थित और खतरनाक है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले में जो पैटर्न सामने आया है, वह बताता है कि कैसे स्थानीय मदद से पहले आधार कार्ड बनवाया जाता है, फिर उसके आधार पर वोटर आईडी और अंत में पासपोर्ट। हाल के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि केवल 2025 में ही भारत ने करीब 1.39 करोड़ पासपोर्ट जारी किए। इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट जारी करने वाली मशीनरी के भीतर जब फर्जीवाड़े की गुंजाइश बचती है, तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे चुनौती देती है। घुसपैठिये अक्सर स्थानीय बिचौलियों की मदद से उन इलाकों में अपनी जड़ें जमाते हैं जहाँ दस्तावेज बनवाना आसान होता है। एक बार आधार बन गया, तो वह नाम और पते की पहचान बन जाता है। इसी पहचान के दम पर वे वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराते हैं और फिर 'भारत के नागरिक' के रूप में पासपोर्ट के लिए आवेदन कर देते हैं। इस पूरे खेल में पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी कभी-कभी सतही साबित होती है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग भारतीय होने का कानूनी मुखौटा पहन लेते हैं।

कानूनी रूप से यह स्थिति और भी पेचीदा है। 1955 का नागरिकता कानून स्पष्ट करता है कि नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण या प्राकृतिक तरीके से मिलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश की 99.99 फीसदी आबादी के पास कोई ऐसा 'सिंगल कार्ड' नहीं है जिसे वे 'नागरिकता का प्रमाण पत्र' कह सकें। आधार कार्ड नागरिकता नहीं देता, यह केवल निवास का प्रमाण है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक ने कई बार दोहराया है। वोटर आईडी भी केवल चुनावी सूची का हिस्सा होने का प्रमाण है। जब विदेश मंत्रालय यह कहता है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो वह केवल कानून का पाठ पढ़ा रहा होता है, लेकिन एक आम नागरिक के लिए यह बयान उसकी पूरी अस्मिता पर प्रहार जैसा महसूस होता है। इस बहस की कड़ियों को अगर 2019 के सीएए-एनआरसी के दौर से जोड़कर देखें, तो डर स्वाभाविक है। उस समय सरकार ने कहा था कि जन्म की तारीख और जन्म स्थान से जुड़े दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है, लेकिन कोई तय लिस्ट जारी नहीं की गई थी। अब अगर भविष्य में देशव्यापी एनआरसी लागू होता है, तो वह 'पासपोर्ट धारी' नागरिक भी सकते में है जिसे लगता था कि उसके पास सरकार का ही दिया दस्तावेज है। सच तो यह है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत भी केंद्र सरकार कुछ मामलों में गैर-नागरिकों को भी यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है। यानी, आपके हाथ में मौजूद पासपोर्ट आपकी भारतीयता का दावा तो करता है, लेकिन किसी कानूनी विवाद या एनआरसी जैसी प्रक्रिया के दौरान वह आपको 'अंतिम नागरिक' घोषित करने की गारंटी नहीं देता।

यही वह जगह है जहाँ आम आदमी के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है। जब तक आप पर कोई कानूनी आंच नहीं आती, तब तक पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी के साथ आप पूरे भारत में स्वतंत्र घूम सकते हैं। लेकिन, अगर कभी 'कागज दिखाने' की नौबत आई जैसा कि असम में हुआ तो वहां के 19 लाख से अधिक लोगों के आवेदन खारिज हो गए थे। असम एनआरसी की प्रक्रिया ने दिखाया कि कैसे दशकों से रह रहे लोग भी सरकारी फाइलों में 'विदेशी' हो सकते हैं यदि उनके पास 1971 से पहले की लीगेसी (विरासत) के ठोस दस्तावेज न हों। भारत के बाकी हिस्सों में स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन कानूनी ढांचा वही है। यदि पासपोर्ट को ही अंतिम प्रमाण नहीं माना जा रहा, तो वह साधारण गरीब व्यक्ति क्या करेगा जिसके पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके पास पैतृक जमीन के पुराने रिकॉर्ड नहीं हैं, और जो केवल एक सामान्य पासपोर्ट या आधार के सहारे अपना जीवन बिता रहा है? यह विवाद केवल कागजों का नहीं है, यह उस भरोसे का है जो एक नागरिक का अपनी सरकार के साथ होता है। विपक्षी दल इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं, जबकि सरकार इसे कानूनी प्रक्रिया बता रही है। लेकिन इस बहस के बीच में जो 'सच्चाई' दबी हुई है, वह यह है कि भारत में नागरिकता 'अधिकार' से ज्यादा 'सिद्ध करने की जिम्मेदारी' बन गई है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 9 के तहत सबूत पेश करने का जिम्मा नागरिक का है, राज्य का नहीं। यानी, राज्य कभी भी आपसे आपकी नागरिकता मांग सकता है, और उस दिन पासपोर्ट या आधार केवल मददगार साबित हो सकते हैं, निर्णायक नहीं।

अंततः, नागरिकता का असली प्रमाण तो वही 'जन्म की श्रृंखला' है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन आधुनिक दौर की भीड़भाड़ और फर्जीवाड़े के बीच, सरकार का यह स्पष्टीकरण एक चेतावनी भी है अपने पुराने दस्तावेजों को सहेज कर रखें। सिर्फ एक कार्ड के भरोसे न रहें। जिस तरह घुसपैठिये नेक्सस का इस्तेमाल कर सिस्टम में घुस रहे हैं, उससे निपटने के लिए सरकार भले ही कड़े नियम बनाए, लेकिन उस चक्कर में आम नागरिक को एक ऐसी अंतहीन कागजी दौड़ में नहीं धकेला जाना चाहिए जिसका कोई अंत न हो। पासपोर्ट आपकी राष्ट्रीयता की पहचान है, और इसे और अधिक मजबूत व सुरक्षित बनाना विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है ताकि फर्जी पासपोर्ट के आधार पर कोई भी इस देश का नागरिक न बन सके। आखिर में, भारतीयता सिर्फ कागजों की मोहताज नहीं है, पर इस डिजिटल युग में कागज ही आपकी पहचान की नींव हैं। इस नींव को मजबूत रखना, आज हर भारतीय की अपनी सुरक्षा के लिए पहली शर्त बन गई है।

नई भाजपा के रोल मॉडल हैं योगी, हेमंत और शुभेंदु

राजनीति

प्रो.संजय द्विवेदी

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

उत्तर प्रदेश एक ऐसे मुख्यमंत्री से रूबरू है, जिसे राजनीति के मैदान में बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। उनके बारे में यह ख्यात था कि वे एक खास वर्ग की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी उनकी राजनीतिक शैली से पूरी तरह सहमत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह अपनी पकड़ बनाई है और देश में एक अलग माडल खड़ा दिया है, वह सर्वत्र चर्चा का विषय है। इससे यह भी साबित हो रहा है कि 'अपनी राजनीति' के प्रति भाजपा का आत्मदैन्य कम हो रहा है। वहीं असम में हेमंत विश्वशर्मा उम्मीदों का चेहरा बनकर उभरे हैं, असम में तीसरी बार सरकार बनाकर भाजपा ने पूर्वोत्तर में इतिहास रच दिया है। इसी तरह गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति से पश्चिम बंगाल की विजय ऐतिहासिक कही जा रही है और वहां बने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ फैसलों ने जनविश्वास की हिलोरें पैदा की हैं। जड़ता को तोड़कर एक नई उम्मीद बनी है। केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगमन ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदलकर रख दिया है।

भाजपा का आज तक का ट्रैक हिंदुत्व का वैचारिक और राजनीतिक इस्तेमाल कर सत्ता में आने का रहा है। देश की राजनीति में चल रहे विमर्श में भाजपा बड़ी चतुराई से इस कार्ड का इस्तेमाल तो करती थी, किंतु उसके नेतृत्व में इसे लेकर एक हिचक बनी रहती थी। वो हिचक अटल जी से लेकर आडवानी तक हर दौर में दिखी है। भाजपा का हर नेता सत्ता पाने के बाद यह साबित करने में लगा रहता है वह अन्य दलों के नेताओं के कम 'सेकुलर' नहीं है। उत्तर प्रदेश की 'आदित्यनाथ परिघटना' दरअसल भाजपा की वैचारिक हीनग्रंथि से मुक्ति को स्थापित करती नजर आती है। नरेंद्र मोदी के राज्यारोहण के बाद योगी आदित्यनाथ का उदय भारतीय राजनीति में एक अलग किस्म की राजनीति की स्वीकृति का प्रतीक है। एक धर्मप्राण देश में धार्मिक प्रतीकों, भगवा रंग, सन्यासियों के प्रति जैसी विरक्ति मुख्यधारा की राजनीति में दिखती थी, वह अन्यत्र दुर्लभ है। भाजपा जैसे दल भी इस सेकुलर विकार से कम ग्रस्त न थे। धर्म और धर्माचार्यों का इस्तेमाल, धार्मिक आस्था का दोहन और सत्ता पाते ही सभी धार्मिक प्रतीकों से मुक्ति लेकर सारी राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण में लग जाती थी। प्रधानमंत्रियों समेत जाने कितने सत्ताधीशों के ताज जामा मस्जिद में झुके होगें, लेकिन हिंदुत्व के प्रति उनकी हिचक निरंतर थी।

यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं की एक समय में दीनदयाल जी उदार थे, तो अटलजी और बलराज मधोक अपनी वक्रता के चलते उग्र नेता माने जाते थे। अटलजी का दौर आया तो लालकृष्ण आडवाणी उग्र कहे जाने लगे, फिर एक समय ऐसा भी आया जब आडवानी उदार हो गए और नरेंद्र मोदी उग्र मान जाने लगे। आज की व्याख्याएं सुनें- नरेंद्र मोदी उदार हो गए हैं और योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह उग्र माने जाने लगे हैं। अब तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी आदित्यनाथ की परंपरा के मुख्यमंत्री कहे जाने लगे हैं।

यह मीडिया, बौद्धिकों की अपनी रोज बनाई जाती व्याख्याएं हैं। लेकिन सच यह है कि अटल, मधोक, आडवानी, मोदी, अमित शाह या आदित्यनाथ,

हेमंत विश्वशर्मा और शुभेंदु अधिकारी कोई अलग-अलग लोग नहीं है। एक विचार के प्रति समर्पित राष्ट्रनायकों की सूची है यह। इसमें कोई कम जा ज्यादा उदार या कठोर नहीं है। किंतु भारतीय राजनीति का विमर्श ऐसा है जिसमें वास्तविकता से अधिक ड्रामे पर भरोसा है। भारतीय राजनेता की मजबूरी है कि वह टोपी पहने, रोजा भले न रखे किंतु इफ्तार की दावतें दे। आप ध्यान दें सरकारी स्तर पर यह प्रहसन लंबे समय से जारी रहा है। भाजपा भी इसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। उसमें भी इस तरह के रोग हैं। वह भी राष्ट्रनीति के साथ थोड़े तुष्टिकरण को गलत नहीं मानती। जबकि उसका अपना नारा रहा है सबको न्याय, तुष्टिकरण किसी का नहीं। उसका एक नारा यह भी रहा है- 'राम, रोटी और इंसाफ।'

लंबे समय के बाद भाजपा में अपनी वैचारिक लाइन को लेकर गर्व का बोध दिख रहा है। अरसे बाद वे भारतीय राजनीति के सेकुलर संक्रमण से मुक्त होकर अपनी वैचारिक भूमि पर गरिमा के साथ खड़े दिख रहे हैं। समझौतों और आत्मसमर्पण की मुद्राओं के बजाए उनमें अपनी वैचारिक भूमि के प्रति हीनताग्रंथि के भाव कम हुए हैं। अब वे अन्य दलों की नकल के बजाए एक वैचारिक लाइन लेते हुए दिख रहे हैं। दिखावटी सेकुलरिज्म के बजाए वास्तविक राष्ट्रीयता के उनमें दर्शन हो रहे हैं। मोदी जब एक सौ चालीस करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं तो बात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक से ऊपर चली जाती है। यहां देश सम्मानित होता है, एक नई राजनीति का प्रारंभ दिखता है। एक भगवाधारी सन्यासी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो वह एक नया संदेश देता है। वह संदेश त्याग का है, परिवारवाद के विरोध का है, तुष्टिकरण के विरोध का है, सबको न्याय का है।

आजादी के बाद के सत्तर सालों में देश की राजनीति का विमर्श भारतीयता और उसकी जड़ों की तरफ लौटने के बजाए घोर पश्चिमी और वामपंथी रह गया था। जबकि बेहतर होता कि आजादी के बाद हम अपनी ज्ञान परंपरा की और लौटते और अपनी जड़ों को मजबूत बनाते। किंतु सत्ता,शिक्षा, समाज और राजनीति में हमने पश्चिमी तो, कहीं वामपंथी विचारों के आधार पर चीजें खड़ी कीं। इसके कारण हमारा अपने समाज से ही रिश्ता कटता चला गया। सत्ता और जनता की दूरी और बढ़ गयी। सत्ता दाता बन बैठी और जनता याचक। सेवक मालिक बन गए। ऐसे में लोकतंत्र एक छद्म लोकतंत्र बन गया। यह लोकतंत्र की विफलता ही है कि हम सत्तर साल के बाद सड़कें बना रहे हैं। यह लोकतंत्र की विफलता ही है कि हमारे अपने नौजवानों ने भारतीय राज्य के खिलाफ बंदूकें उठा रखी थीं। गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़संकल्प की बदौलत आज माओवादी आतंक का अंत भी हमने देखा। पिछले सत्तर सालों में लोकतंत्र की विफलता की ये कहानियां सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं। राजनीतिक तंत्र के प्रति उठा भरोसा भी साधारण नहीं था। आज ऐसा लगता है कि राजनीति से कुछ हो सकता है। मोदी,शाह, आदित्यनाथ भरोसे के प्रतीक बन गए। इसका मतलब यह भी है कि ये कुछ कह रहे हैं तो करेंगें भी।

नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आदित्यनाथ देश की इन्हीं उम्मीदों के चेहरे हैं। तीनों अंग्रेजी नहीं बोलते। तीनों जन-मन-गण के प्रतिनिधि हैं। यह भारतीय राजनीति का बदलता हुआ चेहरा है। क्या सच में भारत खुद को पहचान रहा है? वह जातियों, पंथों, क्षेत्रों की पहचान से अलग एक बड़ी पहचान से जुड़ रहा है- वह पहचान है भारतीय होना, राष्ट्रीय होना। एक समय में राजनीति हमें नाउम्मीद करती हुयी नजर आती थी। बदले समय में वह उम्मीद जगा रही है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो भरोसा जगाते हैं। एक आकांक्षावान भारत बनता हुआ दिखता है। यह आकांक्षाएं राजनीति दलों के एजेंडे से जुड़ पाएं तो देश जल्दी और बेहतर बनेगा। राजनीतिक विमर्श और जनविमर्श को साथ लाने की कवायद हमें करनी ही होगी। जल्दी बहुत जल्दी। यह जितना और जितना जल्दी होगा भारत अपने भाग्य पर इठलाता दिखेगा।

जीवन के मधुर इंतजार

विचार

मालिनी गौतम

लेखक साहित्यकार हैं।

किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है...। यह सिर्फ़ एक ग़ज़ल की पंक्ति नहीं बल्कि उन अनगिनत दिलों की कहानी है जिन्होंने कभी किसी को पूरे मन से चाहा और फिर उसकी याद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। इंतज़ार हमेशा किसी के लौट आने का नहीं होता.. कभी-कभी वह उन एहसासों का भी होता है जो किसी के साथ चले गए थे।

वक्त की धूल बहुत कुछ बदल देती है। रास्ते बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। लेकिन कुछ प्रतीक्षाएँ ऐसी होती हैं जो कैलेंडर की तारीख़ों से नहीं बंधतीं। वे दिल के किसी शांत कोने में चुपचाप जीवित रहती हैं बिना किसी शोर के..बिना किसी शिकायत के। बरसों बाद भी जब कोई याद अनायास दस्तक देती है तो लगता है जैसे समय ने वहाँ अपना असर छोड़ा ही नहीं।

इंतज़ार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वह प्रेम को जीवित रखता है। जब कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से दूर चला जाता है तब उसकी मौजूदगी अक्सर यादों में और गहरी हो जाती है। उसकी हँसी, उसकी बातें, उसका साथ सब कुछ स्मृतियों के आँगन में वैसे ही सजा रहता है जैसे किसी पुराने घर में वर्षों से संभालकर रखा गया कोई अनमोल दीपक जो भले ही रोज़ न जले पर उसकी रोशनी कभी पूरी तरह बुझती नहीं।

शायद किसी ने कभी लौट आने का वादा किया था। शायद किसी ने कुछ कहा नहीं लेकिन बहुत कुछ छोड़ गया। और शायद वही अधूरी बात, वही अनकहा एहसास वर्षों बाद भी मन में एक कोमल उम्मीद बनकर जीवित है। दुनिया के शोर में भी कुछ ख़ामोशियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ एक नाम पुकारती हैं।

मगर इंतज़ार का अर्थ केवल किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं है। कई बार हम किसी रिश्ते का इंतज़ार करते हैं, कभी किसी पुराने दौर का, किसी अधूरे सपने का या फिर अपने ही उस हिस्से का जो समय की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट गया। जीवन आगे बढ़ जाता है पर मन का एक कोना वहीं ठहरा रहता है जहाँ किसी अपने की आखिरी मुस्कान, कोई अधूरा वादा या कोई अनकहा शब्द छूट गया था।

शायद यही वजह है कि कुछ इंतज़ार कभी समाप्त नहीं होते। वे बोझ नहीं बनते बल्कि जीवन की एक मधुर अनुभूति बन जाते हैं। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि कुछ रिश्ते साथ रहने से नहीं बल्कि दिल में बसे रहने से मुकम्मल होते हैं। स्मृतियों का अपना एक संसार होता है जहाँ न दूरी मायने रखती है न वर्षों का अंतराल। वहाँ सिर्फ़ भावनाएँ रहती हैं- वैसी ही निर्मल, वैसी ही जीवंत जैसी कभी थीं।

और तब होंठ अनायास ही गुनगुना उठते हैं, 'किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है

कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है।'

क्योंकि सच्चा इंतज़ार घड़ी की सुइयों से नहीं मापा जाता। वह उन धड़कनों में बसता है जो वर्षों बाद भी किसी नाम पर वैसी ही मुस्कुरा उठती हैं जैसे पहली बार मुस्कुराई थीं। कुछ लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं पर हमारी यादों से नहीं... कुछ रिश्ते समय के साथ दूर हो जाते हैं पर दिल से नहीं।

शायद इसी का नाम मोहब्बत है- जहाँ मिलने से ज़्यादा खूबसूरत किसी का इंतज़ार होता है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.- 453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

रात हो या भोर, चोर-चोर का शोर

सुरेश उपाध्याय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

एक वह युग था जब बचपन की मौज-मस्ती में माखन चुराना एक खेल जैसा था। ग्वालिन चाहती थी कि उसके घर से माखन की चोरी हो। इस बहाने वो नटखट आए तथा उसे उससे हंसी ठिठोली का अवसर मिले। कोई कोशिश यह भी रहती थी कि चोरी रंगेहाथ पकड़ी जाए ताकि सबूत के साथ मा को उलाहना दिया जा सके। माखनचोर भी कम जादूगर नही था, 'मैय्या में नहीं माखन खायो' तथा मुन्ह पर लगे माखन को मासूमियत से दूसरे द्वारा लगाया कहने में देर नहीं करता था। चोरी पकड़ने के लिए मुन्ह खुलवाने पर ब्रह्माण्ड के दर्शन करा कर विस्मित कर देता था। इस खेल ने कृष्ण, कान्हा, कन्हैय्या, गोपाल, मोहन, मुरलीधर, बंशीधर, गिरधर, यशोदानंदन, नंदलाल आदि नाम के साथ 'माखनचोर' की उपमा को स्थायी रुप से जोड़ दिया है।

इतिहास में माखन चोरी के अलावा सिर्फ 'दिल की चोरी' को ही प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है और वर्तमान व भविष्य भी इसी का दिखाई देता है। साहित्य की चोरी तो चौर्यकर्म के नाम से सर्वाधिक बदनाम है, लेकिन 'जो है नाम वाला/वही तो बदनाम है' के पक्षधर फिकर नोट की लहर पर सवार होकर मस्त हैं। चोरी हर युग में होती रही है, इसे कला भी कहने वाले रहे हैं तथा 'पकड़ा जाए वह चोर' की उक्ति भी इसी कला रुप की देन है। होशियार चोर की आवाज 'चोर चोर के शोर में' सबसे तीव्र होकर ध्यान हटाने का एक प्रयास ही होता है। कभी चोरी मजबुरी का सबब भी कही गई है तो यह आदत में तब्दील होकर शगल भी बनती देखी गई है। अपने लिए, अपनों के लिए तथा अपने होने वाले (प्रेमी/प्रेमिका) के लिए भी चोरी के किस्से सुने जाते रहे हैं। पीडित व्यक्ति यदि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का मित्र/रिश्तेदार/पडोसी हो तो समाचार का शीर्षक भी बोल्ड होकर आमुख पर प्रतिष्ठा पा जाता है।

धन, सम्पदा, जरुरत की सामग्री की चोरी के क्रम में वोट चोरी, सीट चोरी व सरकार चोरी कुछ नई टर्म है। इससे बड़ा कंफ्यूजन व भ्रम है क्योंकि चोर कभी चोरी स्वीकारता नही है और पीडित शोर मचाने के अलावा कुछ कर नही सकता है। ऐसे में चौकीदार, रक्षक व सभी सम्बंधित एजेंसियो की जिम्मेदारी व चुनौतिया बढ़ जाती है। एक तरह से उनके लिए परीक्षा की घड़ी होती है।

सामान्यतः सरकारी सम्पतियो पर उल्लेखित रहता है कि 'सरकारी सम्पत्ति - आपकी अपनी सम्पत्ति है' और भाई लोग अपनी सम्पत्ति की तरह ही उसका उपयोग करते हैं। अपना व अपनी का नाम लिखकर विज्ञापन बोर्ड की तरह उसका उपयोग करते हैं। घर पर जरुरत हो तो तोड़-उखाड़कर ले जाते हैं। लोहे- प्लास्टिक आदि की हो तो अपनी समझकर कबाडी को बेच देते हैं तथा अपना छोटे मोटे खर्च का जुगाड़ कर लेते हैं। लिखने वाला यदि समझदारी दिखाकर उसे 'सरकारी सम्पत्ति दर्शाता' तो क्या कोई सरकारी सम्पत्ति को ले जाने या बेच देने की हिम्मत कर सकता है? सरकार के नियम, कानून व उनका पालन सुनिश्चित करने तथा दंडित करने वाली प्रणाली का भय तो सबको रहता ही है?

धार्मिक सम्पत्ति पर कुछ लिखने की जरुरत नहीं होती है, स्वतः समझ में आ जाता है। इसके चोरी/दुरुपयोग पर पाप (अधर्म) का भय बना रहता है। पाप की सजा का डर इस लोक से उस लोक तथा इस जन्म से पुनर्जन्म तक पीछा नहीं छोडता है। पहले कभी जरुरत की वस्तुए चोरी की जाती होगी, आजकल नकद व आभूषण की ही चोरी होती है। एक तो उठाकर ले जाने में सुविधा होती है और दूसरे इसे आसानी से बेचकर मनचाही वस्तु खरीदी जा सकती है। अलंकरणों की चोरी थोड़ी अलग तरह की सुनी है, वैसे अर्जित स्वर्ण/रजत अलंकरण तो सामान्य चोरी की तरह ही चुराए जाते हैं। मंदिरो की चोरी में सम्भवतः उसका उपयोगकर्ता उसे प्रसाद के अपने हिस्से की तरह ग्रहण करता है। आप चढाए या दूसरा चढ़ाए भोग लगने के बाद प्रसाद बटता ही है। यही सोचकर वह कुछ अंश प्रसाद स्वरुप प्राप्त करता होगा। प्रसाद के हिस्से को चोरी कहना/मानना प्रसाद का अपमान नहीं है? अभी कन्ही पढ़ने में आया की चांदी की ईंटों की रसीद नहीं दी/सोने के गहने का हिसाब नही है। अरे, भाई, विश्वास के संकट और मिलावट के दौर में शुद्धता की जांच जरुरी है कि नही? और बगैर जांच के रसीद देना क्या आफत को निमंत्रण देना नहीं है? कुछ गहनों के पानी में गलने के समाचार भी कहीं देखने में आए है, उससे शुद्धता जांच के प्रति सतर्कता की पुष्टी भी हुई है। कुछ गहने बंदर ले गए, यह भी कहीं पढ़ा है, अब इसका क्या कर सकते हैं? अशुद्ध हुए तो बंदर ही ठगा गया माना जाएगा कि नहीं? सतर्कता बरतने वाले शंका के नहीं सम्मान के पात्र हैं।

इसलिए तथाकथित चोरी पर टेंशन मत पालिए और 'रामजी की चिड़िया/रामजी का खेत/ चुगो मेरी चिडिया/ भर-भर पेट' गुनगुनाइए तथा मस्त रहिए। इतने में भी समझ में नहीं आए तो 'राम नाम की लूट है/ लूट सके तो लूट' दोहराने से कौन रोक सकता है?

और चलते-चलते एक सवाल का उत्तर दे सके तो अवश्य दे - 'चंदा, चढ़ावा की चोरी करके कोई चपत लगाकर चम्पत हो जाए' इस वाक्य में कौन सा अलंकार है।

शिवाजी का राज

गिरीश जोशी

लेखक स्तंभकार हैं।

हिंदवी स्वराज्य की अनुपम कृषि व्यवस्था

शिवाजी महाराज से पहले मुगलों, आदिलशाही और निजामशाही के समय प्रजा का नियंत्रण वतनदार के हाथों में था। ये वतनदार अपनी मनमानी किया करते थे। मनमाने ढंग से कृषि उपज और कर इकट्ठा किया करते थे। शिवाजी महाराज ने सभी वतनदारों के अधिकार वापस लेकर उनका प्रजा से सीधा नियंत्रण समाप्त कर दिया। शिवाजी महाराज ने कृषि क्षेत्र में जो महान कार्य किए हैं उनका विवरण देने वाले पत्र आज उपलब्ध है। 5 सितंबर, 1676 को प्रभावली के सूबेदार रामाजी अनंत को लिखा गया पत्र हिंदवी स्वराज्य की राज्य व्यवस्था का प्राण है। शिवाजी महाराज ने इस पत्र में अपनी प्रजा को दो बार भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अनाज देने की सूचना रामाजी को दी है।

छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वर्ष 1674 में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ था। इस वर्ष महाराज के राज्याभिषेक को 452 वर्ष पूरे हो रहे हैं । ये सवाल किसी के मन में उठाना लाजिमी है कि इस राज्य में ऐसी क्या बात थी कि हम आज भी इसे याद करते है । महाराज का राज्य जिन आदर्शों और मूल्यों पर आधारित था उसकी एक बानगी राज्य व्यवस्था में किए गए कृषि सुधार की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं।

शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज में पूरी कृषि भूमि की नपती करवाई । भूमि को नाप कर उसे पाँच श्रेणियों जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और बंजर जमीन में बांटा। महाराज के राज्य में पहली बार कृषि भूमि को लकड़ी की छड़ी से मापा गया। ये छड़ी पाँच हाथ और पाँच मुट्ठी लंबी होती थी। बीस छड़ी की लंबाई और चौड़ाई वाली भूमि एक बीघा होती थी। 120 बीघा का एक चवर होता था। (एक चवर मतलब 60 एकड़)। इस प्रकार से प्रत्येक गाँव की जमीन नाप ली गई ।

कृषि से मिलने वाली उपज के पाँच भाग किए जाते थे। इसमें से तीन भाग किसान को और दो भाग कर के रूप में सरकार के खजाने में जमा किया जाता था। प्रजा को पशु, मवेशी और खाद्यान्न राज्य से मिलता था। सरकार किसानों को बिना व्याज का ऋण भी देती थी। ये ऋण कृषकों से उनकी क्षमता के अनुसार वापस लिया जाता था।

शिवाजी महाराज से पहले मुगलों, आदिलशाही और निजामशाही के समय प्रजा का नियंत्रण वतनदार के हाथों में था। ये वतनदार अपनी मनमानी किया करते थे। मनमाने ढंग से कृषि उपज और कर इकट्ठा किया करते थे। शिवाजी महाराज ने सभी वतनदारों के अधिकार वापस लेकर उनका प्रजा से सीधा नियंत्रण समाप्त कर दिया। शिवाजी महाराज ने कृषि क्षेत्र में जो महान कार्य किए हैं उनका विवरण देने वाले पत्र आज उपलब्ध है। 5 सितंबर, 1676 को प्रभावली के सूबेदार रामाजी अनंत को लिखा गया पत्र हिंदवी स्वराज्य की राज्य व्यवस्था का प्राण है। शिवाजी महाराज ने इस पत्र में अपनी प्रजा को दो बार भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अनाज देने की सूचना रामाजी को दी है।

महाराज रामाजी को लिखते हैं

श्री शंकर, आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपने राज्य का काम प्रामाणिकता से करें। ये काम आप पूर्व से कर ही रहे हैं। प्रजा से किसी वस्तु को पाने की अपेक्षा न रखें। आप बड़ी प्रामाणिकता से व्यवहार करें। सूबे के कार्य व्यवस्थित पद्धति से करना चाहिए। खेती का काम समय पर आवश्यकतानुसार करें और राज्य का लाभ कैसे हो इस बात का विचार करें।

राज्य में फसल के बंटवारे की नीति लागू की गई है। इस नीति के आधार पर प्रजा का हिस्सा प्रजा को मिले और राज्य का हिस्सा राज्य को मिले इस पद्धति से कार्य करें। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हों इस बात की चिंता करें। यदि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा इसे समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि मौसम के अनुसार आने वाली फसलों का अनाज जो प्रजा से कर के रूप में इकठ्ठा कर जमा किया है उसे सही समय पर बेचा जाए। कर के रूप में इकट्ठा किया गया अनाज भविष्य में इस प्रकार से बेचा जाए

ताकि उसकी बढ़ी हुई कीमत मिले और राज्य को लाभ हो । मौसम के आधार प्राप्त अनाज को कर के रूप में प्राप्त कर उस अनाज को व्यवस्थित रूप से इकठ्ठा करते हुए सही तरीके से उसकी बिकवाली हो इस तरह से काम करें। किस समय पर कौन सा अनाज बेचना चाहिए इसका विचार करें।

किसी भी मौसम में कर के रूप में प्राप्त हुए अनाज के साथ ऐसा ना हो कि ये अनाज उपेक्षित ही पड़ा रहे, खराब हो जाए अथवा उसे कीड़े लग जाए। साथ ही उस अनाज को बाजार में बढ़ी हुई कीमत पर बेचा जाए। नारियल, खोपरा, सुपारी, काली मिर्ची की बिकवाली बढ़ी हुई दर पर हो इसके लिए यदि दस बाजारों में भी घूमना पड़े तो घूमें और इन वस्तुओं को बढ़ी हुई कीमत पर बेचने की व्यवस्था करें। यदि ये वस्तुए बढ़ी हुई कीमत पर बेची गई तो जो लाभ होगा वो आपको ही होने वाला है ऐसा समझकर बेचे। इस काम से राज्य में समृद्धि आएगी। इसलिए मैं, आप सबको ऐसी आज्ञा दे रहा हूँ।

आप परिश्रम करें। प्रत्येक गाँव में जाएं, वहाँ किसानों को एकत्रित करें। ये बहुत अच्छा है यदि कुछ किसानों के पास खेती के लिए उपजाऊ जमीन है, काम करने के लिए लोग है, बैल है, अनाज है, तो ये किसान अपनी खेती कर लेंगे। लेकिन ऐसे किसान जिनके पास खेती करने की क्षमता है और काम करने के लिए आदमी भी है लेकिन बैल नहीं है, खेती के उपकरण भी नहीं है और खाने के लिए अनाज नहीं है इस कारण से यदि इस प्रकार के किसान निराश होकर बैठें हो तो उन्हें इतना ऋण दीजिए ताकि वो दो-चार बैल खरीद सके। इस धन से किसान बैल खरीद कर अपने काम में जुट जाएँगे। इन किसानों को अपना पेट पालने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु दो खडी (एक खड़ी = 20 मन, 1 मन 40 किलो) अनाज दीजिए। वो अपने खेत की जितनी जमीन पर खेती करना चाहते है उन्हे करने दें। बैल या अनाज खरीदने करने के लिए जितना पैसा किसान को ऋण में दिया गया है। उस पैसे पर कोई ब्याज न लगाकर वापस लिया जाए। जिस किसान की अपने ऋण को चुकाने की जैसी क्षमता अथवा पात्रता हो उसे उस आधार पर अपना ऋण वापस करने की सुविधा दी जाए।

(यहां यह बात गौर करने लायक है कि आज भी जो लोन देता है वही किस्त की राशि समय आदि तय करता है लेकिन महाराज के राज्य में लोन लेने वाला किसान तय करता था कि वह लोन कितनी किस्तों में कब वापस चुकाएगा।)

महाराज के स्वराज्य में जो किसान भू राजस्व धन के रूप में भरना चाहते थे उन्हें 33 प्रतिशत राजस्व देना होता था। लेकिन जो किसान अनाज के रूप में भू राजस्व देना चाहते थे उन्हें 40 प्रतिशत देना होता था। भूराजस्व को अनाज के रूप में लेने के पीछे दो उद्देश्य थे। पहला यदि शत्रु सेना, स्वराज पर आक्रमण करती और उनके कारण खड़ी फसल नष्ट होती, अतिवृष्टि से फसल नष्ट होती या अकाल पड़ता तो उस स्थिति में सरकार के भंडार गृह में जमा किया हुआ ये अनाज उपयोग में लाया जा सकता था। अनाज के रूप में भू राजस्व जमा करने पर किसानों के पास वो अनाज वैसा ही जमा रहता जिसे बाजार में भाव बढ़ने पर बेचा जा सकता था। इस पद्धति से किसानों को फायदा होता था।

इस पत्र से यह बात ध्यान में आती है कि शिवाजी महाराज अपने हिंदवी स्वराज में किसान, खेती- बाड़ी, अनाज के भंडारण और अनाज के वितरण के साथ उसकी बाजार में सही कीमत मिले इसकी बड़ी चिंता किया करते थे। आज भी स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की कृषि व्यवस्था, किसानों की स्थिति, खेती बाड़ी में लगने वाली साधन सामग्री की सहज उपलब्धता, फसलों को बेचने के लिए मंडी व्यवस्था,अनाज के भंडारण की विकेन्द्रित व्यवस्था आदि में सुधार करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य से प्रेरणा लेकर योजना बनाई जा सकती है।

शिवाजी राज्याभिषेक दिवस

डॉ. लोकेन्द्र सिंह

लेखक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है हिन्दू साम्राज्य दिवस

मैंने प्रियंक खड़गे के पत्र को "बेवजह" इसलिए कहा कि "शताब्दी की दहलीज" की संघ की यात्रा में पंजीयन संबंधित प्रश्न ब्रिटिश शासन अथवा भारत सरकार ने कभी नहीं पूछा। जब संघ पर कांग्रेसी सरकारों ने प्रतिबंध लगाएं और तब भी नहीं, जब देश के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने संघ पर से "प्रतिबंध" हटाने के लिए कही गई "शर्तों" में "लिखित संविधान" तो मांगा, परंतु पंजीयन की शर्त न जोड़ी, न थोपी। ऐसी स्थिति में कम से कम पत्र लिखने के पूर्व अभी तक पंजीयन न पूछने की "गलती" खरगे को मान कर "खेद" तो व्यक्त करना चाहिये था। तभी यह "बेवजह पत्र वाजिब" ठहराया जा सकता है। यद्यपि इस पत्र में प्रियंक ने संघ की सार्वजनिक व समाज में महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकारा है। इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए, जो नहीं दी गई। पत्र की उल्लेखनीय बात "गोपनीयता" के साथ कार्य करने की बात को छोड़कर, "संघ" पर किसी भी प्रकार का "आरोप" न लगाना है।

छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के ऐसे अद्वितीय नायक हैं जिन्हें न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की अनेक पीढ़ियाँ भी स्मरण करेंगी। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने उस युग में, जब आक्रांताओं के अत्याचारों से भारतीय समाज शिथिल हो चुका था, तब हिन्दू समाज में उन्होंने एक नई चेतना जगाई। उसके भीतर विश्वास जगाया कि भारत में स्वराज्य की फिर से स्थापना हो सकती है, जहाँ सब स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि उस कालखंड में विदेशी आक्रमणकारियों ने जबरन धर्मांतरण, सांस्कृतिक विनाश और धार्मिक स्थलों का विध्वंस कर भारतीय सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया। भारत के स्वाभिमान को झुकाने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना कर इन विघटनकारी शक्तियों को परास्त किया। हिन्दू साम्राज्य की स्थापना करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत में हिन्दुओं का राज्य है।

हम आज भी हिन्दू साम्राज्य दिवस को क्यों मनाते हैं? हिन्दू साम्राज्य के स्मरण से हमें ध्यान आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत के स्व को केन्द्र में रखकर राज्य की नीतियां बनायीं। अपने संघर्ष के दौरान उन्होंने न केवल सैन्य दृष्टि से अद्वितीय रणनीतियाँ अपनाईं, बल्कि प्रशासन, कृषि, भाषा, मुद्रा और धार्मिक व्यवस्था में भी भारतीय सनातन परंपराओं के अनुरूप दूरदर्शी सुधार किए। उनका शासन केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं था, बल्कि वह भारतीय आत्मगौरव, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्मरक्षा का प्रतीक बन गया।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रशासनिक भाषा में से अरबी-फारसी के शब्दों को निकालकर स्वभाषा के गौरव को स्थापित किया। प्रशासनिक व्यवस्था में मुगलों की बनायी व्यवस्थाओं को खत्म कर स्वराज्य की नई व्यवस्थाएं खड़ी कीं। कृषि में सुधार भी किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए। राज्य के सुचारू संचालन के लिए अष्टप्रधान मंडल का गठन किया, जिसका वर्णन भारतीय आख्यानों में भी आता है। अर्थव्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन किए। मुगलों की मुद्राएं बंद करके, स्वराज्य के सिक्के जारी किए। समुद्री सीमाओं को सुरक्षित किया। तोपखाना एवं नौसेना के गठन में स्वदेशी को अधिक महत्व दिया।

हिन्दवी स्वराज्य की नींव एवं विस्तार के केन्द्र में स्वबोध था, इसलिए हम उनके राज्य से आज भी प्रेरणा लेते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 'शिवाजी के राजनीतिक आदर्श ऐसे थे जिन्हें हम आज भी बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर सकते हैं। उनका उद्देश्य था अपनी प्रजा को शांति देना, सभी जातियों और धर्मों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, एक कल्याणकारी, सक्रिय और निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नौसेना का विकास करना, और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक प्रशिक्षित सेना तैयार करना'।

हिन्दू साम्राज्य की स्थापना की घोषणा और छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, ये भारतीय इतिहास की असाधारण घटनाएं हैं। इन घटनाओं ने भारत की तस्वीर को बदल दिया। हिन्दू साम्राज्य की स्थापना से पहले आम धारणा थी कि मुगल साम्राज्य ही भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। मुगलों के साथ होने वाली संधियों को भारत के साथ की गई संधियाँ माना जाता था।

छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मंत्रियों ने लंबे समय से यह महसूस किया था कि राजा के रूप में राज्याभिषेक न होने के व्यावहारिक नुकसान हैं। यह सच है कि उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी और काफी संपत्ति इकट्ठा की थी; उनके पास एक मजबूत सेना और नौसेना थी और वे स्वतंत्र शासक की तरह समाज हित के निर्णय लेते थे। लेकिन उस समय के अन्य राजाओं और मुगल बादशाह के लिए वे केवल एक जमींदार थे; आदिलशाह के लिए वे एक जागीरदार के विद्रोही पुत्र थे।

इस मानसिकता को तोड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए। अपने राज्याभिषेक के साथ ही महाराज ने हिन्दू पदपादशाही और हिन्दू साम्राज्य की स्थापना की घोषणा भी कर दी। यानी अब भारत में केवल मुगलों का नहीं अपितु हिन्दुओं का भी राज्य है। भारत की प्राचीन और सम्मानित परंपरा के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज दूरदृष्टा थे, उन्हें मालूम था कि उनके बाद हिन्दवी स्वराज्य का विस्तार तभी हो सकता है, जब उसकी वैधता हो। इसलिए भी औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ होकर हिन्दू साम्राज्य को वैधता प्रदान की।

छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे नायक थे, जिन्होंने अपने सपने को अपने साथियों के हृदय में जैसा का तैसा उतार दिया। यही कारण रहा कि उनके जाने के बाद भी हिन्दवी स्वराज्य का सपना मरा नहीं, अपितु और अधिक पल्लवित-पुष्पित हुआ। एक महान नायक की हृदय भूमि पर अंकुरित हुए बीज ने विशाल वटवृक्ष का रूप धरकर भारत को उसकी पहचान लौटाई। उनके जाने के बाद हिन्दवी स्वराज्य के योद्धाओं ने भगवा परचम को संपूर्ण भारत पर फहरा दिया था।

दृष्टिकोण

संदीप नाईक

लेखक एडवोकेट हैं।

हिंसा और हैवानियत के ज्वालामुखी पर बैठा समाज

मेहरबानी करके शादी-ब्याह, सत्रह करोड़ के रिज़ॉर्ट्स से लेकर पचास - पच्चीस लाख खर्च करना, दिखावा करना बंद कीजिए, आपके बच्चे है वो, इस पृथ्वी पर उपस्थित आठ सौ अरब की आबादी में आपका डीएनए है वो-यूनिक और आपके जीवन की सबसे बड़ी संपदा, इन्हें अपने शौक, दिखावे, इज्ज़त और अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल ना करें। युवाओं पर भरोसा करें, उनकी जीवन शैली, व्यवहार, पेशे और च्वाईस को महत्व देना सीखें, अपनी सड़ी - गली भद्दी, अवैज्ञानिक मानसिकता और धर्म आधारित अंध-विश्वासों को त्याग कर उन्हें स्वस्थ मानसिकता के साथ जीने दे, समाज वैसे ही गर्त में है - सोनम , ट्वीशा और सिया जैसे उदाहरणों से लड़के नफरत करने लगे है, आपकी संस्कृति पर थूकने लगें है और एक दिन आयेगा जब वे स्त्रियों से इतनी नफरत करेंगे कि आपके लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं बचेगी, लड़कियां वैसे ही इस भोगी समाज में टूल बन गई है, हनीट्रेप के सैंकड़ों किस्से रोज होते है और लड़कियों ने भी समझ लिया है कि प्रगति करनी है तो इस पुरुष प्रधान समाज में शरीर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके रूपया कमाओ और ऐश करो, एंजॉय करो।

सवाल लड़की के द्वारा मंगेतर या पति की बेदर्दी से हत्या, धक्का देकर मारना, या पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र करके धोखे से हत्या कर देने का नहीं है। इंदौर की सोनम रघुवंशी के द्वारा शिलांग ले जाकर राजा को मारने की बात हो, ताजा मामले में पूना में सिया द्वारा केतन अग्रवाल को मारने का हो या भोपाल में ट्वीशा की हत्या का मामला हो - ये सब उदाहरण भर है हमारे उस समाज के जो आईटी, उन्मुक्तता, हिंसा और हैवानियत के ज्वालामुखी पर बैठा है और इसमें अब रोज हत्या, हिंसा, बलात्कार, छेड़छाड़ और मानसिक अत्याचार हो रहे है - लड़के एवं लड़कियां दोनों मर रहे है और पूरे समाज में एक दहशत है।

इस सबका शिकार हमारी युवा पीढ़ी हो रही है और हम सब इसके लिए जिम्मेदार है, हम उन्हें जबरन मंदिर-मस्जिद, तीर्थ यात्रा, हज, उमरा से लेकर शादी - ब्याह थोप रहे हैं। 25-30 की कोई उम्र है तीर्थ यात्रा, हज या उमरा करने की भला मतलब हमारी जो हसरतें हम पूरी नहीं कर पाएं उन पर थोप कर घर परिवार के रीति-रिवाज, परम्परा, संस्कार, प्रथाएँ, समाज, प्रचलित मान्यताओं आदि का वास्ता देकर एक तरह के दुश्चक्र में फंसा रहे हैं।

वे मुक्त रहना चाहते है, अपने हिसाब से जीना चाहते है, इन्हें बंधन मुक्त, जिम्मेदारी मुक्त जीवन चाहिए, वे रचनात्मक है, इतनी व्यापक और भीषण बेरोजगारी के बाद भी कमा ही रहे है ना, मैं बात शिक्षित और ज्यादातर शहरी क्षेत्रों की कर रहा हूँ, ग्रामीण समस्याओं पर फिर कभी लिखूंगा, ये पढ़े-लिखें, उच्च शिक्षित यदि हत्या, आत्महत्या कर मरने लगेंगे तो क्या मतलब रहेगा, परिवार, समाज, विवाह आदि नामक संस्थाओं का जिनका बखान हक्सले, अरस्तु से लेकर तमाम दार्शनिकों या समाज शास्त्रियों ने किया है।

मेहरबानी करके शादी-ब्याह, सत्रह करोड़ के रिज़ॉर्ट्स से लेकर पचास - पच्चीस लाख खर्च करना, दिखावा करना बंद कीजिए, आपके बच्चे है वो, इस पृथ्वी पर उपस्थित आठ सौ अरब की आबादी में आपका डीएनए है वो-यूनिक और आपके जीवन की सबसे बड़ी संपदा, इन्हें अपने शौक, दिखावे, इज्ज़त और अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल ना करें। युवाओं पर भरोसा करें, उनकी जीवन शैली, व्यवहार, पेशे और च्वाईस को महत्व देना सीखें, अपनी सड़ी - गली भद्दी, अवैज्ञानिक मानसिकता और धर्म आधारित अंध-विश्वासों को त्याग कर उन्हें स्वस्थ मानसिकता के साथ जीने दे, समाज वैसे ही गर्त में है - सोनम, ट्वीशा और सिया जैसे उदाहरणों से लड़के नफरत करने लगे है, आपकी संस्कृति पर थूकने लगें है और एक दिन आयेगा जब वे स्त्रियों से इतनी नफरत करेंगे कि आपके लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं बचेगी, लड़कियां वैसे ही इस भोगी समाज में टूल बन गई है, हनीट्रेप के सैंकड़ों किस्से रोज होते है और लड़कियों ने भी समझ लिया है कि प्रगति करनी है तो इस पुरुष प्रधान समाज में 'शरीर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके रूपया कमाओ और ऐश करो, एंजॉय करो।'

क्या सचमुच जरूरी है शादी?

शादियां कितनी रिस्की और भयावह हो गई है, यह सिया और केतन, सोनम एवं राजा रघुवंशी या ट्वीशा और समर्थ सिंह के केस को देखकर समझा जा सकता है, इसके अलावा आसपास, मुहल्लों, घरों और रिश्तेदारियों में जरा झांककर देखिए- कुछ भी सहीं नहीं चल रहा है, यदि मेरी बात पर यकीन ना आयें तो कोर्ट में जाकर कुटुंब न्यायालय में देख आइए, सारे मुगालते दूर हो जाएंगे।

इसलिए ध्यान दें, युवाओं को सोचने और निर्णय करने के लिए पर्याप्त समय दें। जबरदस्ती ना करें कि अलाना-फलाना मरने के पहले उसे बहु या दामाद का मुँह दिखा दें। उनकी पसंद को सर्वोच्च मानें और स्वीकार करें। उनकी मर्जी के बगैर शादी ना करें। शादी के बाद उनकी निजता में ना दखल डालें - ना अपनी अपेक्षाएं थोपें, खासकर लड़की से काम या संस्कार की अपेक्षा तो बिल्कुल ना करें। उनके खाने-पीने, घूमने-फिरने, कपड़े खरीदी या निज बातों में दखल ना दें - अब सास-ससुर-देवर-जेठ-ननद वाला तानाशाही का जमाना गुजर गया है, लड़कियां या लड़कों को आपकी ना अपेक्षाओं की फिक्र है और ना उनके लिए आपका कोई महत्व है।

युवाओं के ओरियंटेशन को भी समझें जिसकी आजकल बहुत जरूरत है, आपके पुरातन एवं सड़े-गले विचारों के बंधन इन पर जबरन ना लादें, आजकल कानून ने सब तरह के संबंधों को जायज ठहराया है इसलिए ज्यादा ज्ञान ना दें किसी को और आप मां - बाप है तो किसी की जिंदगी पर आपका हक नहीं है।

नौकरी के कारण वे महानगरों में रहते है, जहां वे उन्मुक्त और स्वच्छंद तरीके से रहते हैं, अपने बनाए संसार और स्पेस में, उनके पास पर्याप्त पैसा है और उन्हें आपके ना पैसे चाहिए - ना पुराने जमाने के देशी कमोड वाले या लकड़ी के सोफे वाले घर, इसलिए ये लालच उन्हें बाँध नहीं सकता, उन्हें स्पेस दें - बजाय अपनी बातें थोपने के ।

और सबसे अंत में शादी के बारे में बेहतर हो कि बात ही ना करें, वे अठारह या इक्कीस साल बड़े है तो अपना भला - बुरा वे सोच लेंगे, आपके कर्तव्य और रिश्तेदारी में दिखावे के लिए आप अपने बच्चों की कुर्बानी ना दें - शादी की जरूरत होगी तो वे स्वत- कह देंगे या कर लेंगे।

मेरे अपने खानदान में, मेरे आसपास और मेरे पूर्व छात्रों के वृहद समूहों में दर्जनों उदाहरण है - जहां बच्चे शादी के बंधन में बंधकर पीस रहें है, तलाक के लिए या रोज अदालतों में चक्कर काट कर वकीलों को तगड़ी फीस दे रहें है, वे बर्बाद हो गए है, ये बच्चे और युवा कानूनी प्रक्रियाओं में हार्ट अटैक झेल रहे है - मात्र तीस - बत्तीस की उम्र में, उन्हें स्टेंट डलवाना पड़ रहें है - सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हें मजबूर कर दिया शादी के लिए और वे फंसकर रह गए है और अब अपना जीवन बर्बाद कर रहें है, उनके चेहरों से हंसी गायब हो गई है; वे ना पति या पत्नी के हो पा रहे - ना मां - बाप के और एकाकी जीवन में सिर्फ कमाना, शराब पीना, एकांत में रहना और चुपचाप जीवन रूपी जहर को पीते रहना - उनकी क्रूर नियति बन गई है, वे दो - तीन बरस तक दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे या हैदराबाद से घर नहीं आते कि - 'क्या करूंगा या करूंगी घर जाकर, वही रोना - धोना है, नहीं जाना - बल्कि गोवा चले जाओ दिवाली में या मसूरी, घर की किच - किच तो नहीं झेलना पड़ेगी'।

आपकी संतान राजा रघुवंशी या ट्वीशा बन जाएं - इसके पहले आप खुद सम्हल जाइये और बड़े बच्चों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप, रोकना, टोकना और गंदी भाषा में कहूँ तो 'उंगली करना' बंद कर दीजिए, ये पीढ़ी हमसे ज्यादा अक्लमंद, समझदार और निर्भीक है, अपना अच्छा बुरा वे आपसे हमसे बेहतर जानते और समझते है, मेहरबानी करके उन्हें जीने दें।

भोपाल चंदनपुरा में टाइगर का मूवमेंट, दंपत्ति की जान बची

महिला बोली- मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, चिल्लाई तो बाघ झाड़ियों में चला गया

भोपाल (नप्र)। भोपाल के चंदनपुरा क्षेत्र में टाइगर की मूवमेंट देखी गई है। शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को टाइगर दिखाई दिया। एक दंपत्ति के बेहद करीब तक टाइगर पहुंच गया था। महिला के शोर मचाने पर बाघ झाड़ियों में चला गया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग शुरू कर दी। वन्यजीव एक्सपर्ट राशिद नूर ने बताया कि क्षेत्र में बड़ी जाली लगी हुई है, लेकिन उसका एक हिस्सा खुला है। संभावना है कि टाइगर उसी रास्ते से आवाजाही करता है।

फार्महाउस की बाउंड्री में घुसा बाघ

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाघ बाद में चंदनपुरा स्थित एक निजी फार्महाउस की बाउंड्री के अंदर चला गया। घटना सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद सुबह करीब 9 बजे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग अभियान शुरू किया।

मानव-बाघ संघर्ष का बढ़ रहा खतरा

राशिद नूर के अनुसार चंदनपुरा क्षेत्र बाघ के प्राकृतिक कॉरिडोर के नजदीक है। पिछले काफी समय से यहां बाघों की मौजूदगी दर्ज की जाती रही है। दूसरी ओर मॉर्निंग वॉक, सैर और अन्य गतिविधियों के कारण लोगों की आवाजाही भी लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि इलाके में वन विभाग की कोई स्थायी चौकी नहीं है। इसके अलावा लगातार हो रहे निर्माण कार्य और भूमि विकास के कारण बाघों के प्राकृतिक रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बाघ और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

वन विभाग की अपील

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जब तक सर्चिंग अभियान पूरा नहीं हो जाता, तब तक चंदनपुरा क्षेत्र और उसके आसपास मॉर्निंग वॉक या जंगल से लगे इलाकों में जाने से बचें। टीम लगातार बाघ की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है।

महिला बोली- पहले लगा कुत्ता है, फिर देखा तो बाघ था

मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला ने बताया कि वह अपने पति के साथ टहल रही थी। इसी दौरान उसके बिल्कुल पास से एक जानवर निकला। पहले उसे लगा कि कोई कुत्ता होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह बाघ है। महिला के अनुसार उसके पति कुछ दूरी पर चल रहे थे। उसने जोर से चिल्लाकर उन्हें आवाज दी, जिसके बाद बाघ झाड़ियों में चला गया। घटना के दौरान आसपास मौजूद कई अन्य लोगों ने भी बाघ को देखा। कुछ लोगों ने उसकी दहाड़ सुनने का दावा किया। इससे मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोग मौके से भाग गए, जबकि कुछ ने सुरक्षित दूरी से बाघ का वीडियो भी बनाया।

पेपर लीक से बर्बाद हुआ लाखों छात्रों का भविष्य : डागा

छात्रों की गूंज संवाद से कांग्रेस साधेगी सरकार पर निशाना, बैतूल में पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी

बैतूल। देशभर में आयोजित किए जा रहे छात्रों की गूंज-जन संवाद अभियान के तहत बैतूल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमो को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सरले सेलिब्रेशन मैरिज गार्डन में पत्रकार वार्ता कर इसकी रूपरेखा, उद्देश्य और प्रमुख मुद्दों को सामने रखा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक निलय विनोद डागा ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बडिय़ों के लीक, भर्ती परीक्षाओं के निरस्त होने, बढ़ती बेरोजगारी, विद्यार्थियों में मानसिक तनाव और आत्महत्या की घटनाओं ने लाखों परिवारों को प्रभावित किया है। उनका दावा था कि पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा निरस्त होने से लेकर 21 जून तक 46 दिनों में 14 से अधिक विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों को युवाओं के बीच प्रमुखता से उठाएगी।

कारण हजारों-लाखों विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हुआ है। उन्होंने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014 से 2026 तक भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में 90 से अधिक पेपर लीक हो गए हैं जो गंभीर राष्ट्रीय समस्या बन गया है। श्री डागा ने बताया कि कांग्रेस का यह अभियान देश के विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को सामने लाने की पहल है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, स्वास्थ्य, किसानों और आदिवासियों से जुड़े विषय आज सबसे बड़े जनसरोकार बन चुके हैं और इन्हीं मुद्दों पर युवाओं से सीधा संवाद किया जाएगा। जिला संगठन महामंत्री ब्रजभूषण पांडे ने बताया कि पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी सुनील उइके, प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निलय डागा ने आरोप लगाया कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए अवसर का माध्यम बनने के बजाय शोषण का तंत्र बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर

बैतूल में भी जमीन घोटाले का आरोप- रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर किए गए रोजगार संबंधी वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के बजाय भूमि खरीद जैसे मामलों की चर्चा अधिक हो रही है। उन्होंने नगर के निकट डॉन बॉस्को स्कूल की जमीन का भी उल्लेख करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जुड़ा जमीन घोटाला सामने आया है तथा कांग्रेस आने वाले दिनों में बैतूल जिले का भी एक बड़ा जमीन घोटाला उजागर करेगी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और उनके परिजनों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि खरीदी गई है और मास्टर प्लान के जरिए कथित लाभ पहुंचाया गया है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग भी की गई। पत्रकार वार्ता में श्री डागा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अपने कपड़ों पर भाजपा का चुनाव चिह्न लगाकर पूरे समय प्रचार किया।

'रुक जाइए नहीं तो गोली मार दूंगा'

शिवपुरी में खनन माफिया ने तहसीलदार को धमकाया, बेटे को कहा- बंदूक ले आओ

शिवपुरी (नप्र)। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवैध मिट्टी उत्खन्न रोकने पहुंची राजस्व टीम को खुलेआम धमकाने का मामला सामने आया है। आरोपी जयमंडल यादव ने तहसीलदार सचिन भार्गव को गोली मारने की धमकी दी। साथ ही अपने बेटे को बंदूक लाने को कहा। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मामले में एफआईआर दर्ज- पूरा मामला शिवपुरी जिले के बदरवास क्षेत्र का है। शिवपुरी पुलिस ने इस मामले में जयमंडल यादव, उसके पिता लाखन यादव और बेटे विकुल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरकारी जमीन से निकाली जा रही थी मिट्टी

जानकारी के अनुसार, बदरवास तहसील के ग्राम सड़बूड़ रोड स्थित सिंध नदी के पास शासकीय भूमि पर अवैध मिट्टी उत्खनन की सूचना मिली थी। इस पर तहसीलदार सचिन भार्गव राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंचे। टीम में पटवारी, कोटवार और शासकीय वाहन चालक सुनील कुमार प्रजापति भी शामिल थे।

रेत उत्खनन के लिए बनाया जा रहा रास्ता

राजस्व टीम ने मौके पर देखा कि घाट तक रेत उत्खनन के लिए रास्ता बनाया जा रहा था। शासकीय भूमि पर एक हाइड्रा और दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से मिट्टी का अवैध उत्खनन हो रहा था। अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त करने का प्रयास किया, जिस पर आरोपियों ने विरोध शुरू कर दिया।

इसी दौरान जयमंडल यादव ने तहसीलदार को धमकाते हुए कहा कि रुक जाइए, नहीं तो गोली मार दूंगा और जेल चला जाऊंगा। उसने कथित तौर पर अपने बेटे विकुल यादव से घर से बंदूक लाने को भी कहा, यह कहते हुए कि आज इन सबको गोली मार दूंगा। आरोपियों ने राजस्व अमले के साथ गाली-गलौज की और शासकीय कार्य में बाधा डाली। हंगामे के बीच, आरोप है कि एक हाईड्रा और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से भगा दिया गया। हालांकि, मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को राजस्व अमले ने जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कोटवार सुनील कुमार प्रजापति की शिकायत पर बदरवास थाना पुलिस ने जयमंडल यादव, उसके पिता लाखन यादव और बेटे विकुल यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जोधपुर से चेन्नई के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन

27 जून से 25 जुलाई तक संचालन, 5-5 ट्रिप लगाएगी

भोपाल (नप्र)। गर्मी की छुट्टियों में लंबी दूरी की ट्रेनों में बढ़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए जोधपुर और चेन्नई के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 27 जून से शुरू होकर पांच ट्रिप लगाएगी। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के रूठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरने वाली इस ट्रेन से मध्यप्रदेश के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 04815 जोधपुर-चेन्नई बीच साप्ताहिक स्पेशल 27 जून से 25 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार रात 9:20 बजे जोधपुर से रवाना होगी और विभिन्न स्टेशनों से होते हुए सोमवार रात 8 बजे चेन्नई बीच पहुंचेगी। वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 04816 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-जोधपुर साप्ताहिक स्पेशल 30 जून से 28 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार शाम 5:15 बजे चेन्नई से रवाना होकर गुरुवार रात 8:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

यह स्पेशल ट्रेन मार्ग में मेडता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, फुलेरा, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई माधोपुर, सोगरिया, बारां, छबड़ा गुगोर, रूठियाई, गुना, बीना, भोपाल, इटारसी, नागपुर, बल्लारशाह, सिरपुर कागजनगर, मंचिर्याल, वरंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, बापटला, चीराला, ओंगोल, नेल्लोर, गुडूर और नायडुपेटा सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी।

17 साल बाद फिर चर्चा में ताप्ती ट्रस्ट, विधायक चन्द्रशेखर देशमुख ने कलेक्टर को लिखा पत्र

35 प्राचीन मंदिरों के संरक्षण, तीर्थ क्षेत्र के समग्र विकास और पर्यटन को गति देने के लिए शासकीय ट्रस्ट गठन की मांग तेज

बैतूल/ मुलताई। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2009 में मुलताई को पवित्र नगरी घोषित किए जाने के बावजूद पिछले 17 वर्षों से लंबित ताप्ती ट्रस्ट का गठन एक बार फिर प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने जिला कलेक्टर बैतूल को पत्र प्रेषित कर ताप्ती उद्गम क्षेत्र के संरक्षण, प्रबंधन एवं समग्र विकास के लिए शीघ्र शासकीय ट्रस्ट गठित किए जाने की मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में 23 जून 2009 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक-233 का उल्लेख करते हुए कहा है कि पवित्र नगरी घोषित होने के बाद भी आज तक ताप्ती ट्रस्ट का गठन नहीं हो सका, जिसके कारण धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास की अनेक योजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाई हैं। उन्होंने इसे मुलताई के समग्र विकास में सबसे बड़ी प्रशासनिक बाधाओं में से एक बताया है।

रूठा मानसून : जल्द मानसून ने दस्तक नहीं दी तो बदलनी पड़ सकती है फसल

बुआई 15 दिन लेट, किसानों की बढ़ी चिंता

बैतूल। इस साल खरीफ फसल पर मौसम की मार का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जून का महीना आधा से ज्यादा महीना बीत चुका है। अभी तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है। जिसके कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी है, क्योंकि खरीफ सीजन की बोवनी करीब 15 दिन पिछड़ चुकी है। सामान्य तौर पर 10 जून के आसपास प्री-मानसून बारिश के बाद किसान खेतों में बोवनी शुरू कर देते थे, पर इस बार अब तक मानूसन ने दस्तक नहीं दी है। इससे कृषि कार्य ठप हैं। हालांकि किसानों ने खेत तैयार कर लिया है। किसान खाद-बीज का भी इंतजाम कर चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से बोवनी शुरू नहीं हो पा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल प्रशांत महासागर में सक्रिय हो रहे अल-नीनो के प्रभाव के कारण मानसून न सिर्फ देरी से आ रहा है, बल्कि सामान्य से कम बारिश की भी आशंकाएं जताई जा रही है। इधर कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि अगले एक सप्ताह में मानसून सक्रिय नहीं हुआ तो किसानों को खरीफ फसलों की योजना बदलनी पड़ सकती है। लंबे समय में पकने वाली फसलों की जगह कम अवधि वाली फसलों और प्रजातियों का चयन करना बेहतर रहेगा। देरी से बोवनी पर फसल में कीट का प्रकोप बढ़ने, उत्पादन घटने और बीज खराब का खतरा रहेगा।

मानसून की देरी से बदल रहा पैटर्न- जिले में खरीफ खेती मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। पिछले दो तीन वर्षों से मानसून की अनिश्चित गतिविधियों ने खेती का पैटर्न बदल दिया है। कभी बारिश देर से शुरू होती है तो कभी बीच सीजन में लंबा अंतराल आ जाता है। इससे किसानों के लिए पारंपरिक फसल चक्र के अनुसार खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। इस बार भी प्री-मानसून बारिश नहीं होने से लंबी अवधि की फसलों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। जिले में बोवनी का यह पीक टाइम है। पर्याप्त बारिश नहीं होना खरीफ उत्पादन के लिए चिंता का विषय है। कृषि विभाग के अनुसार, सभी किसान भाई पारंपरिक लंबी अवधि की फसलों के मोह से बचें। इस बार केवल वहीं फसलें और किस्में खेतो में लगाएं जो कम पानी (पानी की बचत), कम समय (जल्दी पकने वाली) में तैयार हो जाएं।

किसानों को बारिश का इंतजार- खरीफ की बोवनी के लिए किसानों ने खेत बनाकर तैयार किए है। किसान अब बारिश होने के इंतजार में लगे है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त बारिश होने की स्थिति में किसान बोवनी करें अन्यथा कम बारिश में बोवनी करने पर बीज खराब होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए जमीन में पर्याप्त नमी होना अति आवश्यक है। बोवनी को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। बता दे कि इस साल जिले में 4 लाख 56 हजार 050 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई की जायेगी। पिछले साल जिले में 4 लाख 55 हजार 510 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी, जबकि इस साल विभाग द्वारा जो रकबा निर्धारित किया गया है।

देरी से बुआई होने पर फसल पर खतरा

जुलाई के पहले सप्ताह में बोवनी शुरू होती है तो किसान जोखिम उठाकर फसल लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद देरी बढऩे पर नुकसान की आशंका अधिक रहेगी। जुलाई के दूसरे सप्ताह तक बोवनी पहुंचने पर किसानों को फसल बदलने की जरूरत पड़ सकती है। लंबी अवधि में पकने वाली फसलें सामान्यत: 120 से 130 दिन लेती हैं। देरी से बोवनी करने पर इन फसलों को पकने के लिए पर्याप्त अनुकूल मौसम नहीं मिल पाता। इससे फसल पर कीट और बीमारियों का असर बढ़ सकता है, जबकि उत्पादन भी कम हो सकता है।

आयुक्त संकेत भोंडवे भोपाल ने पलकमती नदी को प्रदूषणमुक्त एवं सौंदर्यीकरण की विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए

सोहागपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने नगर पंचायत परिषद में अमृत 2.0 एवं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर आयुक्त श्री भोंडवे ने निर्देश दिए कि पलकमती नदी में मिल रहे सभी नालों को टैप कर अपशिष्ट जल का समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए। जिससे नदी को प्रदूषणमुक्त बनाए रखने की दिशा में प्रभावी कार्य हो सके। आपने एस.टी.पी. परिसर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण कराने के साथ-साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण किए जाने तथा सीडबॉल के माध्यम से भी वृक्षारोपण अभियान संचालित करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही योजना के संचालन में विद्युत व्यय को कम करने एवं दीर्घकालीन, सतत संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कनटीयूसीटेड वेटलेड टेक्नोलॉजी को

योजना में सम्मिलित करते हुए आवश्यक निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त पलकमती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी प्रदान किए। आयुक्त श्री भोंडवे ने कहा कि निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का निरंतर अवलोकन किया जाएगा तथा आगामी समय में भी कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने हेतु पुनः भ्रमण किया जाएगा।इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सचिन कडु, संयुक्त संचालक श्री राजकुमार इवनाती, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री धर्मेंद्र शर्मा, सहायक यंत्री सुश्री वैशाली पांडे, सुजीत यादव, पी आई यू निशांत भान, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि यशवंत पटेल, नगर परिषद उपाध्यक्ष आकाश रघुवंशी सहित नगर पंचायत परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इसके पूर्व नगर पालिका अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने श्री भोंडवे को पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर विश्वकर्मा ने वीसी के माध्यम से की राजस्व प्रकरणों तथा सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरणों, सीएम हेल्पलाईन, ज्ञान भारतम् अभियान तथा गिरदावरी कार्य प्रगति की तहसील और विकासखण्डवार समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की तहसीलवार जानकारी लेते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों को प्राथमिकता से सीमांकन, नामांतरण सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की भी समीक्षा कर समयावधि में निराकृत करने के लिए कहा। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने फसल गिरदावरी की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कहा कि तहसील सुल्तानगंज, बेगमगंज और बाड़ी में गिरदावरी कार्य सौ प्रतिशत पूर्ण हो गया है! सुल्तानपुर, उदयपुरा और गैरतगंज में 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। इसके अलावा जिन तहसीलों में अभी तक शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं हुआ है वह शीघ्रता से गिरदावरी कार्य पूर्ण कराएं। साथ ही संबंधित एसडीएम नियमित मॉनीटरिंग करें। उन्होंने ज्ञान भारतम् अभियान के कार्यो की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को पांडुलिपियों को डिजिटलाइज कराने हेतु निर्देशित किया। बैठक में फार्मर रजिस्ट्री, धारणाधिकार के प्रकरणों और संबल योजना के लंबित आवेदनों की जानकाीर लेते हुए अधिकारियों को तेजी लाते हुए कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखण्डों से एसडीएम, जनपद सीईओ और सीएमओ वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

सीएम के दौरे की तैयारियों का विधायक और कलेक्टर ने किया निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के जिले के हिल स्टेशन कुकरु में प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे 27 एवं 28 जून की तैयारियों का विधायक श्री महेंद्र सिंह चौहान एवं कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने संयुक्त रूप से निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल का अवलोकन करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दायित्व सौंपे। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपूसे, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद, एसडीओ फॉरेस्ट श्री ध्रुव श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती इंदिरा महतो सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्रामीणों ने कठपुतली के खेल से जानी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कहानी

बैतूल (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बैतूल जिले में एक अनूठा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ग्राम पंचायत घाट पिपरिया में आयोजित किया गया। आयोग की ब्रांड एंबेसडर सारिका घारू के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मतदातासूची में नाम जुड़वाने और सुधार करवाने का संदेश दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सचिव श्री दिनेश श्रीवास्तव तथा बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक पपेट शो रहा , जिसने स्थानीय भाषा में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की कहानी को बेहद रोचक अंदाज में पेश किया। मौके पर मौजूद सारिका घारू ने नागरिकों का भ्रम दूर करते हुए स्पष्ट किया कि यह लोकसभा या विधानसभा वाली सूची नहीं है। यह आपके गांव की पंचायत और शहर के नगर निकाय चुनावों की सूची है। इसलिए विधानसभा सूची में नाम होने के बावजूद नागरिक इस स्थानीय सूची में अपना नाम दोबारा जरूर जांचें। उन्होंने बताया कि जो युवा 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो चुके हैं, वे तुरंत अपना नाम जुड़वाएं। मतदाता सूची में नाम, लिंग या पते की त्रुटियों को सुधरवाने की अंतिम तिथि 25 जून को दोपहर 3 बजे तक ही है।

'एक बगिया माँ के नाम' योजना से आत्मनिर्भर बन रहीं ग्रामीण महिलाएं

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश शासन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संचालित 'एक बगिया माँ के नाम' परियोजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उनकी निजी भूमि पर फलदार बगीचे विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध कराना तथा फलदार वृक्षों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को फलोद्यान विकास के लिए तीन लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में जनपद पंचायत माखननगर की ग्राम पंचायत गूजरवाड़ा में 'एक बगिया माँ के नाम' योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की सदस्य मालतीबाई पत्नी श्री लखन अहिरवार द्वारा अपनी निजी भूमि पर फलोद्यान विकसित किया गया है।

■ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर बच्चों और महिलाओं को प्रदान किए जा रहे पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सेवाओं का मूल्यांकन किया

शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पंचायत कार्यों का कलेक्टर ने लिया जायजा

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने विदिशा तहसील क्षेत्र के ग्राम खामखेड़ा का भ्रमण कर विभिन्न शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों तथा विशेष अभियानों की अद्यतन स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गांव में संचालित विभिन्न विभागीय गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए आमजन को प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता की समीक्षा की। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का अवलोकन किया तथा विद्यालयों में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, शैक्षणिक गतिविधियों और मूलभूत व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए ग्रामीणों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं, टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण कर ग्रामीणों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। साथ ही सहकारी समितियों के कार्यों, किसानों को मिलने वाली सुविधाओं तथा विभिन्न कृषि एवं सहकारिता योजनाओं के लाभ वितरण की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर बच्चों और महिलाओं को प्रदान किए जा रहे पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सेवाओं का मूल्यांकन किया। आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित गतिविधियों, पोषण आहार वितरण तथा हितग्राहियों की उपस्थिति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री गुप्ता ने ग्राम पंचायत द्वारा संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों का भी अवलोकन किया। उन्होंने पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, स्वच्छता व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित किया और विभिन्न शासकीय योजनाओं के संबंध में उनकी जानकारी एवं लाभ प्राप्ति की स्थिति जानी। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं, सुझावों तथा आवश्यकताओं से उन्हें अवगत कराया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण तथा योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

पानी की टंकी पर चढ़कर कलेक्टर ने परखी पेयजल व्यवस्था

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बुधवार को विदिशा तहसील के ग्राम खामखेड़ा का भ्रमण कर विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं मूलभूत सुविधाओं की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और जल प्रदाय प्रणाली की वास्तविक स्थिति जानने के लिए स्वयं पानी की टंकी पर चढ़कर निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों से जल स्रोत, पानी के भंडारण, वितरण व्यवस्था तथा ग्रामीणों को नियमित पेयजल उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने पानी की टंकी की क्षमता, जल स्तर तथा वितरण प्रणाली का अवलोकन करते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि गांव के प्रत्येक घर तक पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति समय पर हो। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि गर्मी एवं वर्षा ऋतु के दौरान पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।

अमानक उर्वरक विक्रेता नागर कृषि सेवा केन्द्र दिवटिया की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित

रायसेन (निप्र)। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों के निरीक्षण हेतु दिए गए निर्देशों के परिपालन में उप संचालक कृषि श्री पीके भगत के मार्गदर्शन में निरीक्षण दल ने गत 16 मई 2026 को नागर कृषि सेवा केंद्र दिवटिया का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान नागर कृषि सेवा केंद्र पर ब्रांड जय जवान एनपीके 12:32:06 निर्माता चातक एग्रो (इंडिया) प्रायवेट लिमिटेड इंदौर का 164 बोरी अनाधिकृत पायी गई। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत उक्त उर्वरक की जप्ति एवं सुपुर्दगी की कार्यावही करते हुए उर्वरक नमूने लिए जाकर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए थे। प्रयोगशाला से दिनांक 23 जून 2026 को उर्वरक नमूना विश्लेषण रिपोर्ट में उर्वरक अमानक होने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता नागर कृषि सेवा केंद्र दिवटिया पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु उर्वरक निरीक्षक अभिषेक गौतम द्वारा थाना नूरगंज में आवश्यक कार्यवाही की गई है। साथ ही अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि द्वारा नागर कृषि सेवा केंद्र दिवटिया को प्रदाय अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है।

नवांकुर अभियान के तहत ग्राम उमरिया आश्रम में 1100 पौधों के रोपण का लिया गया संकल्प

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित 'नवांकुर अभियान' के तहत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 'श्री कल्याण शक्तिपीठ' के सहयोग से अनुभाग सिवनी मालवा की तहसील शिवपुर अंतर्गत ग्राम उमरिया स्थित आश्रम परिसर में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आश्रम परिसर में कुल 1100 पौधों के रोपण का सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के प्रतिनिधि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी मालवा श्री विजय राय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पौधारोपण कार्यक्रम के पूर्व आश्रम परिसर से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एसडीएम श्री विजय राय ने बालिकाओं के कलशों में पौधे रखकर यात्रा का शुभारंभ किया। कलश यात्रा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और वृक्षारोपण के प्रति जनजागरूकता का संदेश दिया गया। कलश यात्रा के पश्चात आश्रम के मुख्य प्रांगण में सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एसडीएम श्री विजय राय, नायब तहसीलदार श्री शंकर सिंह रघुवंशी, हल्का पटवारी, आश्रम के महंत एवं सेवादारों सहित स्थानीय ग्रामीणों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए। इस अवसर पर उपस्थितजनों ने पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण पहल है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, रसूलिया क्षेत्र की खाद्य दुकानों का औचक निरीक्षण

नर्मदापुरम (निप्र)। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रसूलिया क्षेत्र में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कमलेश एस. दियावार द्वारा विभिन्न खाद्य दुकानों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान रसूलिया स्थित श्री कृष्णा डेयरी बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित होती पाई गई। साथ ही प्रतिष्ठान में वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी खाद्य पदार्थों का विक्रय हेतु संग्रहण पाया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त निधि डिपार्टमेंटल स्टोर का भी निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान मिल्क पाउडर, फूटाने तथा मसालों के नमूने संग्रहित कर परीक्षण हेतु लिए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कमलेश एस. दियावार ने बताया कि प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

बैंक सखी दीदियों के सीसीएल ऋण वितरण को गति देने हेतु उन्मुखीकरण बैठक आयोजित

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओ.पी. सनोडिया के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सभाकक्ष में बैंक सखी दीदियों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट (ष्टष्टरु) ऋण वितरण विषयक उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक का उद्देश्य बैंक सखी दीदियों को सीसीएल ऋण वितरण की प्रक्रिया, लक्ष्यों एवं उनकी भूमिका के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करना था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। बैठक में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आई बैंक सखी दीदियों ने सहभागिता की। इस दौरान अधिकारियों द्वारा बैंक सखियों को स्वयं सहायता समूहों एवं ग्रामीण महिलाओं तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने, ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में बैंकवार सीसीएल लक्ष्य की जानकारी साझा की गई तथा संबंधित बैंकों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैंक सखी दीदियों को उनके क्षेत्रवार लक्ष्य आवंटित करते हुए ऋण वितरण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि बैंक सखी दीदियां ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा स्वरोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन देने में मदद मिलती है। बैठक में सीसीएल ऋण वितरण की प्रगति की नियमित समीक्षा करने, बैंकों एवं बैंक सखियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

रिज बेड प्लांटर तकनीक से सोयाबीन खेती में मिली नई उड़ान

किसान उपदेश शर्मा ने कमाया बंपर मुनाफा

विदिशा (निप्र)। कृषि क्षेत्र में लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच आधुनिक तकनीकों को अपनाने वाले किसान सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विकासखंड नटेरन की ग्राम पंचायत नानकपुर के प्रगतिशील कृषक श्री उपदेश शर्मा ने सोयाबीन की खेती में नवीन तकनीक अपनाकर न केवल उत्पादन बढ़ाया, बल्कि उल्लेखनीय आर्थिक लाभ भी अर्जित किया। उनकी यह सफलता आज क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।सोयाबीन प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसलों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके रकबे में लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण पारंपरिक खेती पद्धतियों का उपयोग, वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी का अभाव तथा फसल प्रबंधन में आवश्यक सावधानियों का पालन न करना रहा है। ऐसे समय में श्री उपदेश शर्मा की सफलता यह साबित करती है कि यदि किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं तो बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

रिज बेड प्लांटर पद्धति ने बढ़ाया उत्पादनः श्री उपदेश शर्मा ने खरीफ वर्ष 2025 में पहली बार रिज बेड प्लांटर पद्धति से सोयाबीन की बुवाई की। उन्होंने बताया कि इससे पहले वे सामान्य पद्धति से खेती करते थे, जिसमें बीज की मात्रा अधिक लगती थी, खरपतवार और कीटों का प्रकोप ज्यादा होता था तथा दवाओं पर भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। अधिक वर्षा या कम वर्षा की स्थिति में फसल को भारी नुकसान होता था और उत्पादन मुश्किल से 2 से 3 क्विंटल प्रति बीघा तक ही सीमित रह जाता था। रिज बेड प्लांटर तकनीक अपनाने के बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। इस पद्धति में खेत की विशेष संरचना के कारण जल निकास बेहतर हुआ, पौधों की वृद्धि संतुलित रही और फसल पर प्रतिकूल मौसम का प्रभाव कम पड़ा। परिणामस्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

कृषि अधिकारियों के मार्गदर्शन से मिली सफलता

श्री उपदेश शर्मा ने बताया कि वे कृषि विभाग एवं आत्मा परियोजना के अधिकारियों के संपर्क में आए। आत्मा परियोजना की अधिकारी सुश्री तुलसा तथा विकासखंड तकनीकी प्रबंधक श्री नरेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को सोयाबीन की नवीन तकनीकों की जानकारी दी गई। इसी दौरान उनके खेत में सोयाबीन का प्रदर्शन प्लॉट लगाया गया, जिसमें रिज बेड प्लांटर पद्धति से बुवाई कराई गई। इस तकनीक में बीज और उर्वरक की संतुलित मात्रा का उपयोग किया गया। फसल में कीट एवं खरपतवार का प्रकोप नगण्य रहा, जिससे रासायनिक दवाओं पर खर्च लगभग समाप्त हो गया। अधिक वर्षा के बावजूद फसल सुरक्षित रही और उत्पादन बढ़कर लगभग 8 क्विंटल प्रति बीघा तक पहुंच गया।

कम लागत में मिला अधिक लाभ

कृषक श्री उपदेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने केवल 8 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से 3 बीघा क्षेत्र में कुल 24 किलोग्राम जेएस-2172 किस्म के सोयाबीन बीज की बुवाई की। खेत में जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए गोबर खाद का उपयोग किया गया तथा अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया गया। फसल की तैयारी से लेकर कटाई और बिक्री तक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें लगभग एक लाख रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। कम लागत और अधिक उत्पादन के कारण यह खेती उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का संयुक्त कलेक्टर ने किया आकस्मिक निरीक्षण

पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के दिए निर्देश

विदिशा (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों के लिए संचालित फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष-2026 के अंतर्गत संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दीपाश्री गुप्ता ने बुधवार को नगर पालिका क्षेत्र विदिशा के विभिन्न मतदान केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने मतदान केंद्र क्रमांक 90, सनराईजर्स सी. हायर सेकेंडरी स्कूल, विदिशा का निरीक्षण किया। यहां प्राधिकृत कर्मचारी श्री सुरेन्द्र कुमार जैन उपस्थित मिले। उन्होंने बताया कि मतदाताओं के नाम निरसित करने संबंधी प्राप्त जांच सूची का डोर-टू-डोर सत्यापन कराया जा चुका है तथा अब तक निरसन हेतु ईआर-23 प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। संयुक्त कलेक्टर ने मतदान केंद्र क्रमांक 102 एवं 103, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शेरपुरा का भी निरीक्षण किया। मतदान केंद्र क्रमांक 102 पर प्राधिकृत कर्मचारी श्रीमती बबीता भार्गव ने जानकारी दी कि अब तक ईआर-2 के 82 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

वहीं मतदान केंद्र क्रमांक 103 की प्राधिकृत कर्मचारी श्रीमती अर्चना पटेल ने बताया कि उनके केंद्र पर ईआर-1 के 8 तथा ईआर-2 के 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दोनों कर्मचारियों ने आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच सूची के आधार पर डोर-टू-डोर सत्यापन कार्य पूर्ण किए जाने की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित प्राधिकृत कर्मचारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची में किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न रहने पाए तथा कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

उन्होंने पुनरीक्षण कार्य में पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची संबंधी दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है तथा संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा 25 जून को अपरान्ह 3 बजे तक संबंधित केंद्रों पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

निरीक्षण के दौरान निर्वाचन पर्यवेक्षक (स्थानीय निर्वाचन) श्री जयप्रकाश पाठक भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा कर मतदाता सूची को त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा अपात्र प्रविष्टियों को हटाकर निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।

बड़नगर में पटाखों से किया था वैन में ब्लास्ट

'फिर आ गए' क्यों लिखा, विस्फोट का मकसद क्या; एटीएस और फोरेंसिक टीम ढूंढ रही सुराग

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान वैन को क्रेन से लटकाकर विस्फोट करने का वीडियो देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आ गई हैं। जिले की बड़नगर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर वैन और क्रेन को जब्त कर लिया है। आरोपियों का कहना है कि 8 हजार के पटाखे खरीदकर वैन में ब्लास्ट किया गया था।

उज्जैन, उन्हेल, नागदा और महिदपुर पहले से संवेदनशील माने जाते हैं, इसलिए जांच में स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड भी शामिल हो गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब तीन बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रही हैं।

- विस्फोट के पीछे मकसद क्या था?
- गाड़ी पर 'ले, फिर आ गए' क्यों लिखा था?
- विस्फोटक कौन सा था और उसे कहां से लाया गया था?

40 फीट ऊंचाई पर हवा में लटकाकर उड़ाई थी वैन

दरअसल, 23 जून की रात बड़नगर के अडान मोहल्ले से मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। इसमें टाटा मैजिक गाड़ी को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर हवा में लटकाया गया था। इसकी छत पर दो युवक खड़े होकर लाल झंडे लहरा रहे थे। वैन पर 'ले, फिर आ गए' लिखा था। जुलूस में शामिल कुछ लोगों के हाथों में मौजूद तख्तियों पर भी यही मैसेज लिखा था। कुछ देर बाद वैन में विस्फोट कर दिया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है। मामले में शोएब पिता गब्बू, जाहिद पिता भूरा खां और तपसील उर्फ तस्लीम को अरेस्ट किया गया है। वहीं, क्रेन के मालिक पर भी केस किया गया है।

भीड़भाड़ वाले इलाके में किया गया ब्लास्ट

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बड़नगर के जय स्तंभ चौक पर भीड़भाड़ वाले इलाके में ये विस्फोट किया गया था। ब्लास्ट के बाद गाड़ी के पार्ट्स, कांच और दूसरी चीजें नीचे गिरीं। इससे लोगों की जान को गंभीर खतरा पैदा हुआ।

2500 रुपए किराए पर ली गई थी क्रेन

क्रेन मालिक गोपाल राठौर ने पुलिस को बताया कि अडान अखाड़े के सदस्यों ने पुष्प वर्षा के लिए क्रेन किराए पर लेने की बात कही थी। 2500 रुपए किराया तय होने के बाद ड्राइवर समेत क्रेन भेज दी थी। राठौर का कहना है कि उन्हें वाहन में विस्फोट करने की कोई जानकारी नहीं थी।शुक्रवार को उज्जैन की फोरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ता बड़नगर पहुंचकर वैन से सेंपल इकट्ठा कर रहे थे।

कांच बंद होने के कारण गैस बनने से विस्फोट

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करनदीप सिंह क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) के साथ बड़नगर पहुंचे और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने कहा- प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गाड़ी में रॉकेट और सुतली बम लगाए गए थे। इसके कांच बंद होने के कारण गैस बनने से विस्फोट जैसी स्थिति बनी। हालांकि, वास्तविक कारणों की पुष्टि फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।

जाहिद-तपसील ने लहराए थे झंडे- पुलिस के मुताबिक, शोएब ने अडान अखाड़े के बैनर तले मुहर्रम का जुलूस निकाला था। उसी ने कबाड़ में रखी गाड़ी को क्रेन पर लटकवाया था। विस्फोट के समय जाहिद और तपसील गाड़ी की छत पर मौजूद थे। वे ही झंडे लहराते दिखाई दिए थे। ब्लास्ट के पहले दोनों नीचे उतर आए थे।

पुलिस को आरोपियों ने करीब 8 हजार रुपए के पटाखे खरीदने का बिल भी दिया है, जिसकी तस्दीक की जा रही है।

बालाघाट में बिजली गिरने से 3 की मौत

शाजापुर और मंदसौर में तेज बारिश

दो दिन में भोपाल-उज्जैन पहुंचेगा मानसून; ग्वालियर-चंबल, सागर-रीवा में और लेट होगा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो दिनों में मानसून भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंच जाएगा। वहीं ग्वालियर-चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में मानसून सबसे आखिर में दस्तक देगा।

बालाघाट के बैहर तहसील के बिरवा ग्राम पंचायत में बिजली गिरने से 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग झुलस गए हैं। मृतकों की पहचान लल्की मेरावी, झामसिंह ताराम (35) और सतीश वलके के रूप में की गई है।वहीं देवास के खटांबा गांव में सूरज की पूजा के दौरान आंधी-बारिश से गैलरी गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान लक्ष्मीबाई और भगवंताबाई के रूप में की गई है। 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में आंधी और बारिश हुई। सबसे ज्यादा करीब 2 इंच बारिश शाजापुर और नर्मदापुरम में दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।

45 जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी

मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 45 जिलों में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। आगर-मालवा और सीहोर में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, शहडोल, सागर, दमोह, छतरपुर समेत कई जिलों में भी बारिश की संभावना है।

हालांकि ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी और टीकमगढ़ में फिलहाल मौसम साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है।

शुजालपुर में 2 घंटे झमाझम बारिश, जलभराव

शाजापुर जिले के शुजालपुर में शुक्रवार दोपहर करीब दो घंटे तक मूसलधार बारिश हुई। कई सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए। गणेश मंदिर मार्ग की गली नंबर-2 में पानी भरने से कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा।

इस मानसून में अब तक शुजालपुर में 130 मिमी बारिश हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी है। अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई भी तेज कर दी है।

मंदसौर में भी बारिश से बदला मौसम

मंदसौर शहर सहित मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, दलोदा और बही पार्श्वनाथ समेत कई इलाकों में शुक्रवार दोपहर अच्छी बारिश हुई। बारिश से मौसम सुहावना हो गया और किसानों को भी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जिले में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

अब तक इन जिलों में आ चुका मानसून

आलीराजपुर, इंदौर, हरदा, धार, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, खरगोन, सिवनी, बालाघाट, मंडला, बड़वानी, डिंडौरी में मानसून के आने की घोषणा हो चुकी है।

आंधी-बारिश के बीच सूरज पूजा में गिरी छत की गैलरी, दो महिलाओं की मौत, बालिका समेत तीन घायल

देवास के खटांबा गांव में शुक्रवार शाम करीब 5 बजे को सूरज पूजा के दौरान एक गैलरी अचानक ढह गई, इससे दो महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान तेज हवा आंधी के साथ बारिश हो रही थी। सूरज पूजा के कार्यक्रम के दौरान मेहमान खाना रहे थे। इसी दौरान छत की गैलरी गिरी, घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। दो महिलाओं लक्ष्मीबाई और भगवंताबाई की मौत हो गई। वहीं तीन लोग घायल है, इसमें एक बालिका भी घायल बताई जा रही है। घटना के बाद एसडीएम अभिषेक शर्मा, सीएसपी सुमित अग्रवाल सहित बीएनपी थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची।

ओवरलोड वाहन घर में घुसा, 3 की मौत, 12 घायल

जबलपुर-नागपुर हाईवे पर हादसा, रोजगार के लिए केरल जा रहे थे 29 मजदूर

सिवनी (नप्र)। सिवनी जिले में जबलपुर-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर शुक्रवार तड़के करीब 4:30 बजे एक सड़क हादसा हो गया। कुरई थाना क्षेत्र के पचधार हाईवे के पास मजदूरों को केरल ले जा रहा एक ओवरलोड वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान में जा घुसा। इस दुर्घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई 4 लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान कई दो और मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नरेंद्र पिता जित्तू सोनवाने ग्राम पद्दीकोना थाना घुघरी पछवारटोला जिला मंडला, ड्राइवर दशरथ धुर्वे निवासी ग्राम पद्दीकोना थाना घुघरी जिला मंडला और सरजू पिता मोती लाल बालरे ग्राम चाबी थाना घुघरी जिला मंडला के रूप में हुई है।

वहीं दो मजदूरों संजय पिता सुक्कल पुसाम ग्राम भैंसवाही थाना घुघरी जिला मंडला और धनेश्वरी पति विपिन मरावी ग्राम अहमद पुर थाना घुघरी जिला मंडला की हालत गंभीर है।

घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया

घटना की सूचना मिलते ही कुरई थाना पुलिस, एफआरवी-06 खवासा टीम और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। करीब 10 से 12 घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरई में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को नागपुर रेफर किया गया है।

दो की हालत गंभीर

बरघाट एसडीओपी ललित गठरे ने बताया कि हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। जिला अस्पताल में भर्ती दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।

रोजगार के लिए केरल जा रहे थे 29 लोग

जानकारी के अनुसार मंडला और डिंडोरी जिलों से मजदूर एक 'तूफान' वाहन में सवार होकर रोजगार के लिए केरल जा रहे थे। वाहन में क्षमता से अधिक कुल 29 लोग मौजूद थे, जिनमें 12 पुरुष, 12 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल थे।

नींद की झपकी से नियंत्रण खोने की आशंका

प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चालक को नींद की झपकी आने से वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया। वाहन दूसरी लेन में जाकर सीधे सड़क किनारे बने मकान में घुस गया, जिससे दीवार क्षतिग्रस्त हो गई।

पिता की मौत के 6 महीने बाद बेटे ने किया सुसाइड

मां काम पर गई थी, छोटा भाई घर लौटा तो फंदे पर लटका मिला युवक

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र स्थित बल्लभ नगर बस्ती में एक युवक अपने घर में फंदे पर लटका मिला। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अरेरा हिल्स थाने के एएसआई जसराम के अनुसार, मृतक की पहचान आकाश गौतम (19) निवासी बल्लभ नगर के रूप में हुई है। वह बेरोजगार था। उसकी मां घरों में काम करती है।

मां काम पर गई, भाई ने देखा शव

शुक्रवार सुबह आकाश की मां रोज की तरह काम पर चली गई थीं, जबकि उसका छोटा भाई खेलने बाहर चला गया था। दोपहर करीब एक बजे जब भाई घर लौटा तो उसने आकाश को फंदे पर लटका देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

सुसाइड नोट नहीं मिला- पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

छह महीने पहले पिता ने भी की थी आत्महत्या

शुरुआती जांच में सामने आया है कि करीब छह महीने पहले आकाश के पिता की भी फांसी लगने से मौत हुई थी। परिजनों के अनुसार, पिता की मौत के बाद से आकाश मानसिक तनाव में रहने लगा था। वह शराब का आदी भी हो गया था और धीरे-धीरे उसकी लत बढ़ती चली गई।

हर पहलू से जांच कर रही पुलिस

पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जंगल में सांभर को पोहा खिलाने वाले एसडीओ विनोद वर्मा नप गए

वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड

नर्मदापुरम (नप्र)। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन विभाग के प्रभारी सहायक संचालक विनोद वर्मा को संभार को पोहा खिलाना महंगा पड़ गया है। यह वन कानूनों का उल्लंघन है। वीडियो वायरल होने के बाद 25 जून को एसडीओ विनोद वर्मा को निलंबित कर दिया गया है।

सांभर को पोहा खिलाते हुए वीडियो हुआ था वायरल- सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पदस्थ एसडीओ विनोद वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वह खुद कुर्सी पर बैठे हुए थे और सांभर को पोहा खिला रहे थे। सांभर उनके पास खड़ा होकर प्यार से पोहे का स्वाद ले रहा था। किसी ने यह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो 21 जून का है।

वन विभाग ने किया सस्पेंड- वन विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक राखी नंदा ने प्रमुख सचिव के निर्देश पर उन्हें सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने इसे मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना है। इसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया है। निलंबन के दौरान वह सहायक संचालक कार्यालय पिपरिया से अटैच रहेंगे।

आरटीआई एक्टिविस्ट ने उठाया था मुद्दा- दरअसल, इस मामले को आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने उठाया था। उन्होंने वीडियो शेयर कर कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई होने के बाद उन्होंने कहा कि मामले में प्रमुख सचिव वन संदीप यादव ने संवेदनशीलता दिखाई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि स्थानीय अधिकारियों ने समय रहते उन पर कार्रवाई नहीं की थई।

जंगली जानवरों के लिए खतरनाक होता है नमकयुक्त भोजन- गौरतलब है कि जंगली जानवरों के नमकयुक्त भोजन खतरनाक होता है। नमक का स्वाद मिलने के बाद फिर वे ऐसे ही भोजन की तलाश में रहवासी इलाकों में घुसने लगते हैं। इसकी वजह से इंसान और जानवरों के बीच में संघर्ष बढ़ने लगता है।

महिला ने सिर पर फेरा हाथ, सिग्नल मिलते ही पहुंची लोकायुक्त की टीम

नीमच में जिला संयोजक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

नीमच (नप्र)। जिले में गुरुवार दोपहर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक राकेश राठौर और मनासा नाका स्थित उत्कृष्ट बालक छात्रावास के अधीक्षक हरीश चौहान को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। यह पूरी कार्रवाई आदिम जाति कल्याण विभाग के दफ्तर और छात्रावास परिसर के इर्द-गिर्द हुई, जहां जाल बिछाकर बैठे लोकायुक्त के शिकार खुद भ्रष्टाचार के बड़े खिलाड़ी बन गए।

इशारे पर घिरे आरोपी, पैंट की जेब से निकले कड़कड़ाते नोट- यह पूरा ट्रैप किसी जासूसी फिल्म की तरह प्लान किया गया था। जूनियर कन्या छात्रावास कुकड़ेश्वर की निलंबित अधीक्षिका मृदुला इक्का से उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच को रफा-दफा करने और रुका हुआ पुराना वेतन जारी करने के एवज में सवा लाख रुपये की डिमांड की गई थी। परेशान होकर पीड़िता ने लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाया। लोकायुक्त ने शिकायत की तस्दीक की और पीड़िता को एक छुपा हुआ वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस देकर भेजा।

जैसे ही उत्कृष्ट छात्रावास में बातचीत पूरी हुई और रिश्वत के एक लाख रुपये सौंपे गए, पीड़िता ने पहले से तय प्लान के मुताबिक अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम को इशारा कर दिया। इशारा मिलते ही आसपास सादे कपड़ों में तैनात लोकायुक्त की टीम ने धावा बोल दिया और अधीक्षक हरीश चौहान की पैंट की दाहिनी जेब से घूस की रकम बरामद कर ली।

पीड़िता की शिकायत पर हमने पूरी प्लानिंग के तहत जाल बिछाया था। वॉइस रिकॉर्डर में आरोपियों की बातचीत दर्ज होने और तयशुदा कोड वर्ड, सिर पर हाथ फेरना के जरिए इशारा मिलते ही टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई है।

हाइवे किनारे मिले शव की गुत्थी सुलझी | पति ने परदेस में खून-पसीना बहाया, पत्नी ने आशिक संग मिलकर उसे ही दे दी मौत

सिंगरौली (नप्र)। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में चार दिन पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे संदिग्ध हालात में मिले एक शख्स के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने बेपर्दा कर दिया है। भारी गांव के रहने वाले 38 वर्षीय रघुनाथ उर्फ सरजू खेवर की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी सगी पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया है। चितरंगी थाना पुलिस ने घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्यों और कड़ाई से की गई पूछताछ के बाद इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया।

परदेस में पति, गांव में आशिक- पुलिस के मुताबिक, इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड मृतक की 30 वर्षीय पत्नी रामकली ही थी। रामकली का गांव के ही 23 साल के नीरज कुमार शाह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह नाजायज ताल्लुक तब शुरू हुआ, जब रघुनाथ अपने परिवार की खातिर पैसे कमाने गुजरात गया हुआ था। दोनों प्रेमी एक-दूसरे के इस कदर आदी हो चुके थे कि वे रघुनाथ को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि रघुनाथ 19 जून को गुजरात से वापस लौट आया है, उन्होंने कत्ल की साजिश को अमलीजामा पहना दिया।

जांच में साफ हुआ है कि आरोपी महिला का अपने प्रेमी के साथ संबंध तब बना जब उसका पति गुजरात में मजदूरी कर रहा था। आरोपी पीड़ित को अपने रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा मानते थे, जिसके बाद उन्होंने मिलकर हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया।

सलाखों के पीछे पहुंचे गुनहगार- कत्ल की वारदात को एक्सीडेंट का रूप देने की आरोपियों की यह चाल नाकाम रही। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किए गए पत्थर और अन्य सामग्री को बरामद कर लिया है। गुरुवार को तीनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले के अन्य कड़ियों को जोड़ने के लिए आगे की कानूनी तफ्तीश में जुटी है।

ससुराल पहुंचने से पहले ही बिछाया मौत का जाल

रघुनाथ 19 जून को जब गांव लौटा, तो वह अपने ससुराल में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। इसी बीच, साजिश के तहत प्रेमी नीरज और उसके दोस्त सूरज सिंह गोंड ने रघुनाथ को रास्ते में घेरा और शराब पीने के बहाने हाइवे के पास एक सुनसान जगह पर बुला लिया। वहां रघुनाथ को शराब पिलाई गई और मौका पाकर उसके सिर पर भारी पत्थर से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण रघुनाथ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गुनाह को छुपाने के लिए आरोपियों ने उसकी लाश को सड़क किनारे एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा दिया था।